सबला

वर्ष 3 : अंक 11-12 सेवाग्राम विकास संस्थान, नई दिल्ली फरवरी-मार्च, 1991

इस अंक में

हमारी बात	1
कालीकट सम्मेलन—एक रपट —सुहास कुमार	3
कैथर कला की औरतें —गोरख नाथ पांडेय	6
मुझे मेरा शहर लौटा दो —सुहास कुमार	7
लुटी-पिटी एकता	8
यौन-हिंसा पर खामोश न रहें —कमला भसीन चित्र—प्रीता खोखर	11
बिटिया ब्याही गई —साभार : जन नाट्य मंच	15
उसका बदलना —वासंती रामचंद्रन	17
बेटियों के सपने —जया श्रीवास्तव, कमला भसीन	18
मिलता नहीं किनारा —भगवानी देवी	20
मेघालय का समाज —वीणा शिवपुरी	21
बदल गया जमाना —रामचंद्र राठौर	22
निरक्षर से प्रेरक तक का सफर —मनोहर लाल आर्य	23
औरतों ने बिगड़ी बात बनाई —साभार 'हिम महिला'	24
दीप जलाएं —कृष्णा कुमारी सिंह	24
प्रेरकों ने लिखा है	25
महिला संगठन कानूनी सहायक बने—एक रपट	27
बहना के नाम —वीणा शिवपुरी	32
कहानी—वंश बीज —नीर शबनम	33

सहयोग मंडल

कमला भसीन

सुहास कुमार

ज्ञानेंद्र प्रसाद जैन

'जागोरी' समूह

प्रतिभा गुप्ता

तापोसी घोषाल

(चित्रांकन : मुख्य पृष्ठ)

ग्रामीण बहनों की द्विमासिक पत्रिका—शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुदानप्रदत्त; डाक्टर शारदा जैन (सेवाग्राम विकास संस्थान, 1 दरियागंज, नई दिल्ली-110 002) द्वारा संपादित व प्रकाशित तथा इन्द्रप्रस्थ प्रेस (सी.बी.टी.), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 में मुद्रित।

हमारी बात

पिछले सप्ताह हमने एक नाटक देखा—कठपुतली। शुरुआत का गीत था—

औरत है या कठपुतली है
जननी है या करमजली है
कदम कदम पर ठोकर खाती
फिर भी सबके साथ चली है
किसके हाथों में है डोर
किसका चलता किस पर ज़ोर.....

गीत के इन शब्दों ने हमें सोचने को मजबूर कर दिया। कुछ सवाल हमारे दिमाग़ में उठे। क्या औरत अपनी हालत के लिए खुद भी ज़िम्मेदार नहीं है? क्या हमारे मन में भी सदियों से चली आ रही औरत की रूढ़िवादी छवि नहीं है? क्या हम स्वयं भी हीन-भावना की शिकार नहीं हैं? क्या ग़लत धारणाओं ने हमें जकड़ नहीं रखा है? क्या हम सचमुच आगे बढ़ना चाहती हैं?

यदि आपका उत्तर 'हां' में है तो आइए कुछ रचनात्मक क़दम उठाएं। सबसे ज़रूरी बात है हीन-भावना खत्म करना। जब तक इंसान के मन में हीन-भावना बनी रहती है वह आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे देश सहित पूरे संसार में महिलाओं ने यह प्रमाणित कर दिया है कि समुचित अवसर मिलने पर वे पुरुषों से कम योग्य नहीं। स्त्री और पुरुष में कई कुदरती फ़र्क़ हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पुरुष श्रेष्ठ है, स्त्री हीन है।

ग़लत सामाजिक धारणाओं को छोड़ने और सही धारणाओं को अपनाने में औरतें अहम् भूमिका निभा सकती हैं। औरत के शोषण का दर्द औरत से ज़्यादा कौन महसूस कर सकता है। जो सामाजिक परंपराएं औरत को कमज़ोर बनाती हैं और उसके शोषण में सहायक हैं उन्हें तोड़ना बहुत ज़रूरी है। सही जानकारी से बहुत सी ग़लत धारणाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि औरतें आगे बढ़कर सही जानकारी हासिल करें।

एकसाथ बैठकर अपनी समस्याओं की चर्चा करें, अपने दु:ख-सुख बांटें। एकजुट होकर चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला सम्मेलनों का आयोजन इसी उद्देश्य से किया जाता है। दिसंबर 1990 में ऐसा ही एक सम्मेलन कालीकट (दक्षिण भारत) में हुआ। उसमें हिस्सा लेकर आई उत्तर प्रदेश की एक बहन (रजत रानी) ने हमें एक गीत भेजा है जिसकी कुछ पंक्तियां हम अगले पृष्ठ पर दे रहे हैं:

अलग शरीरों में धड़कन एक
समस्याएं एक सपने एक
महसूस हुआ कमज़ोर नहीं हम
शक्ति हमारी पुरुषों से नहीं कम
नई शक्ति से आगे बढ़ेंगे
अपने हक़ लेकर रहेंगे।

हमारा आपसे अनुरोध है कि कठपुतली बनना छोड़ें, अपनी ताक़त पहचानें और नए समाज की रचना करें। ऐसा समाज जिसमें स्त्री और पुरुष का दर्जा बराबर हो।

—संपादिका

कालीकट सम्मेलन–एक रपट

दहलीज के पार

सुहास कुमार

27 दिसंबर 1990 का दिन। कालीकट (केरल राज्य) का स्टेशन महिलाओं के पैरों की चापों से भर उठा था। महिलाएं जो राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब और पश्चिमी बंगाल से आई थीं।

हम तीन दिन का सफर कर कालीकट पहुंचे थे मगर थकान का नामोनिशान नहीं था। दिल्ली से हम 50-60 महिलाओं का सफर जब एक साथ शुरू हुआ, हम पर जैसे उत्साह का नशा सा छाया हुआ था। अधिकांश के लिए इतने बड़े महिला सम्मेलन में जाने का यह पहला अवसर था। तीन दिन का सफर गाते-बजाते, बतियाते कैसे और कब बीत गया पता ही नहीं चला। हमारे साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान की कुछ महिलाएं भी थीं। उनका सफर एक या दो दिन पहले शुरू हो चुका था।

स्टेशन से सेंट जेवियर कालेज (जो 28 से 31 दिसंबर तक हमारी गतिविधियों का केंद्र बना रहा) तक का रास्ता हमारे गीतों से गूंज उठा। बस में बैठते ही हमें लेने आई कर्नाटक की एक महिला ने कहा, "वह गाना गाओ, वही 'चेत' वाला जो हमने पिछले मार्च में हुए राजस्थान के महिला-मेले में गाया था।"

हमारा समूह गान तुरंत शुरू हो गया।

बहना चेत सके तो चेत
जमानो आयो चेतन को
एक दो के चेतवा से
कुछ न फरको आयो
दो चार के चेतवा से
कुछ झंकारो आयो
सारा गांव की बहना चेतीं
धरती पलटो खायो।

कालीकट में अलग-अलग राज्यों, वर्गों, समूहों, जाति और धर्मों की लगभग 2,000 महिलाएं जुटीं। आखिर क्या कहने सुनने की चाह हमें हजारों मील दूर भारत के सुदूर दक्षिण ले गई। हम जो चार घंटे

भी आसानी से घर नहीं छोड़ पाते हैं। भावनाओं, अनुभवों का एक बांध, जो टूट कर बहने को उतावला था। बहनें अपनी कहना व दूसरों की सुनना चाहती थीं।

चर्चा के मुद्दे

बहनें बात करना चाहती थीं महिलाओं पर बढ़ती हिंसा पर, जाति और धार्मिक रूढ़िवाद पर, धर्म के नाम पर होने वाले दंगों से अपने ऊपर पड़े असर पर। करना चाहती थीं चर्चा स्वास्थ्य और कानूनी कमजोरियों की, राजनीति और पर्यावरण की, संचार माध्यमों और सांस्कृतिक समझ की, नारीवाद और राष्ट्रीय योजना नीति की।

इन्हीं सब विषयों को ध्यान में रखकर 9 समूहों में चर्चा चली। वहां कोई भाषण नहीं दिए गए। लेख नहीं पढ़े गए। महिलाओं को पूरी छूट थी वह जिस सामूहिक चर्चा में चाहें भाग लें। इतने कम समय में जितनों को बात कहने का मौका दिया जा सकता था दिया गया। फिर भी कई बातें अनकही और अनसुनी रह गईं। महिलाओं ने इन बड़े गुटों में ही भाग लेना पसन्द किया। इतने बड़े गुटों में हम कब कहां जुड़ पाते हैं।

स्वास्थ्य नीति और परिवार नियोजन

बात चली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण नीति पर। बहनों का कहना था कि नीति परिवार नियोजन के आंकड़ों तक सीमित होकर रह गई है। महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं पर नहीं के बराबर ध्यान दिया जाता है। क्यों एक को छोड़कर सारे गर्भ-निरोधक स्त्रियों के लिए ही बनाए गए हैं? क्या 'पिल' पुरुषों के लिए नहीं बनाई जा सकतीं? उन नीतियों में महिलाओं की सीधी भागीदारी न होने की वजह से उनकी मुश्किलों और परेशानियों पर खास ध्यान नहीं दिया जाता है। औरत बच्चा पैदा करती है, 9 महीने कोख में रखती है, उस पर अधिकार पहले पुरुष का होता है।

पर्यावरण समूह में चर्चा हुई—हिरोशिमा-नागासाकी पर बम गिरने की, भोपाल, चिर्नोबिल के गैस कांडों की, और नर्मदा बांध की। कौन इनका लंबा असर झेलता है? इनसे किनको फायदा होता है? प्रभावित लोगों के सही आंकड़े जनता के सामने क्यों नहीं रखे जाते?

स्त्री व कानून समूह में इस बात पर खास जोर रहा कि कई जगह कानून में बदलाव की सख्त जरूरत है। पहला अभिभावक मां को माना जाना चाहिए। बाल विवाह, दहेज, बलात्कार, सती प्रथा आदि पर बने कानून सुधार के बावजूद भी बहुत कमजोर हैं।

महिलाएं और राजनीति

इस समूह में भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। महिला समूहों के सामने एक बड़ा सवाल है। जिंदगी के सभी क्षेत्रों में कुछ अधिकार पाने के लिए क्या उन्हें राजनीति में हिस्सा लेना होगा? किंतु राजनीतिक पार्टियों से जुड़ने के महिलाओं के अनुभव बहुत कटु हैं। वामपंथी पार्टी की मालंचा घोष ने आपबीती सुनाई। बिहार में जब उन्होंने महिलाओं के मुद्दों को उठाने के लिए पार्टी का सहयोग चाहा तो सहयोग तो दूर, उल्टे उन पर यौन-भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर व्यक्तिगत जीवन पर कीचड़ उछाली गई। भाजपा की एक महिला सदस्य ने बड़े-बड़े राजनीतिक नेताओं की काम-भूख की पोल खोली।

महिलाओं के हकों को उठाने का सवाल तो बहुत पीछे छूट जाता है। नेताओं को खुश रखना महिला कार्यकर्ताओं के लिए पहली शर्त है। कमोबेशी सभी राजनैतिक नेताओं और पार्टियों का यही हाल है।

अलग-अलग समस्याएं

इस बार काफी गंभीर मसलों पर गहराई से बातचीत हुई। सम्मेलन में भाग लेने वाली 70 प्रतिशत से अधिक महिलाएं, ग्रामीण मजदूर-किसान वर्ग की थीं। उन्होंने हर समस्या व मुश्किलों को ज्यादा झेला है। उनके लिए हर दिन एक चुनौती है। उनके तरह-तरह के डरों की सीमा नहीं है।

अकेली औरत, विवाहित जीवन में अकेली औरत, तथा विधवा और छोड़ी हुई औरतों पर चर्चा हुई। क्या समाज इनके अस्तित्व को पहचान पाता है? उनको तरह-तरह से दबाकर क्या उनका जीना दूभर नहीं कर देता? सम्मानपूर्वक जीने के लिए उनकी लड़ाई पर बात हुई।

ईसाई ननों ने आपबीती बताई। कई बार उन्हें मजबूरी में नन बनना पड़ता है क्योंकि उन्होंने विवाहित जीवन की बेड़ियों को नहीं अपनाना चाहा।

वे घर की दहलीज़ से निकलकर सामाजिक क्षेत्र में कुछ करना चाहती हैं।

यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि वह मुक्ति की कोशिश में लगी महिलाओं का सम्मेलन था।

औरतें सभी तरह के दमन को खत्म करने के लिए कमर कसकर तैयार हैं। इसका अहसास सम्मेलन के दौरान बराबर होता रहा। हमारी बढ़ती ताकत और अपने अंदर एक नई ताकत का अहसास हुआ।

तीन दिन तक अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत होने के बाद यह महसूस किया गया कि सांप्रदायिकता का मुद्दा इस समय सबसे अहम है। तय किया गया कि इस बार 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम अपने क्षेत्रों में एक साथ सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। 8 मार्च '91 से लेकर 8 मार्च '92 तक पूरा साल महिलाओं द्वारा सांप्रदायिकता विरोधी अभियान चलाया जाएगा।

समापन

31 दिसंबर को एक बार फिर सब एक साथ बड़े हाल में जमा हुए। अलग-अलग समूहों में हुई चर्चा की रपटें, अलग-अलग भाषाओं में पढ़ी गईं। चार बजे शाम को शहर के मुख्य बाज़ार से हमारी रैली चली। नारे, बैनर, प्लेकार्डों के साथ गीत गाते हमने लगभग 7 किलोमीटर का रास्ता तय किया।

उठ जाग मेरी बहना
चल साथ मेरी बहना
तू मान मेरा कहना
यह जुल्म नहीं सहना

नारी जो अब जगेगी
न मर्दों से डरेगी
न सत्ता से दबेगी
हर जुल्म से लड़ेगी
मेहनतकशों से मिलकर
समाज बदल देगी
स्त्री मुक्ति की निशानी
वह हाथ में थामेगी।

□

मुझे मेरा शहर लौटा दो

वह था हमारा शहर
वह था हमारा मोहल्ला
पले बढ़े थे हम साथ-साथ
रहते थे भाईचारे के साथ
हों शहर के चाहे वे गुंडे
हम सब थीं उनकी बहनें
क्या हिंदू क्या मुसलमां
रात के बारह बजे हम
जाते थे निडर अपनी गली में
छेड़ना तो दूर, आती नहीं थी आवाज़ फिकरे की

बरसों से पढ़ी जाती थी अजान
होता रहता था भजन कीर्तन
बांट के खाते थे हम
ईद की सेवियां, दिवाली की मिठाइयां
बकरीद का तबर्रुक, होली की गुझिया
गले मिलते थे हम
ईद और होली साथ साथ

जब पढ़ी जाने लगी अजान लाउडस्पीकरों पर
कुछ फर्क नहीं पड़ा, मिलते रहे हम उसी तरह
मंदिर में भी लग गए लाउडस्पीकर
पढ़ी जाती अजान दिन में पांच बार
होता भजन रोज़ सुबह सवेरे
फर्क फिर भी कुछ नहीं आया
रहते रहे हम भाईचारे के साथ
फिरते रहे गलियों में निडर

एक दिन जब मुहर्रम के दिनों में
चचा अहमद को पकड़ा गया कर्फ्यू में
आया रात को बारह बजे पिता जी को फोन
खटका के एक फोन छुड़ाया उन्हें,
नाज़ था हमें अपने शहर पर
सन सैंतालीस भी न हिला सका था
ऐसा था भाईचारा हमारे शहर में
हो जाएं दंगे शिया सुन्नी में
होते नहीं थे झगड़े हिंदू मुसलमानों में
ऐसा था हमारा लखनऊ शहर ।

आए दिन होती थीं दावतें मेरे घर में
आते थे पिता जी के सब दोस्त
कभी सोचा नहीं हमने
वह हैं हिंदू या मुसलमां
गए जब पिता जी ऐम्बेसेडर के
सैक्रेटरी बनकर ईरान
सबसे ज्यादा की हमारी देखभाल
हमारे अम्मार चाचा ने।

आया एक गरम हवा का झोंका
दूर कहीं आंधी तूफां की ख़बर
फिर भी बदला नहीं कुछ
हम सब घूमते रहे निडर
आया जब जलती हवा का दूसरा झोंका
सबने ठानी बचाने की भाईचारा
मिल के मुहल्ले के लड़कों ने
बनाईं पीस कमेटियां।

लगाते थे वह गश्त रात में
ताकि सो सकें उनके बुज़ुर्ग,
बच्चे, माएं, बहनें, भाभियां निडर
ज्यादा दूर नहीं था अयोध्या शहर
लाउडस्पीकर पर कहते थे मुल्ला जी
भाइयो, मत दो ध्यान अफ़वाहों पर
भजनों के बीच कहते थे पंडित जी
अफ़वाह हैं हमारी दुश्मन।

फिर भी अब डरने लगे हैं हम
देखने लगे हैं एक दूसरे को
शक़ की निगाहों से
महसूस हर पल होने लगी है
इस शांति के बीच छिपी सनसनी
सोच के जम जाता है हमारा लहू
क्या क्या उड़ा के ले जाएगी यह आंधी
डर उतना ही है अपने शहर के बदलने का
जितना कि बेकार का खून बहने का।

—सुहास कुमार

सांप्रदायिक दंगों में आपबीती

लुटी-पिटी एकता

पांच साल पहले जब दंगे हुए थे तब भी लोगों की शांति छिन गई थी। मन की आशाएं मुर्झा गई थीं। एक साथ काम कर वे शांति से रोजी-रोटी कमाकर राहत महसूस करते थे। लुटे व आतंकित लोग बड़ी मुश्किल से दुबारा उठे थे। 1990 की अप्रैल में फिर वह मनहूस दिन आया जब लोग डर के मारे अपने-अपने घर छोड़कर भाग निकले। बरसों से वे एक साथ रह रहे थे। फिर अशांति कहां से आ चढ़ी ? दोनों कौमों की औरतों की अकुलाहट बहुत तकलीफ़देह थी। ज्यादा तकलीफें उन्हीं को भुगतनी पड़ती हैं। पहले से गरीबी, भुखमरी, बेकारी और अन्याय की मार खाए हुए लोगों पर मार और बढ़ गई।

रोजी छिन गई

'सेवा' के कुछ सदस्यों की आपबीती है। राबिया छपाई का काम कर रोजी कमाती है। उसके पति बीमार रहते हैं। सलिए वह कोई भारी काम नहीं कर पाते। राबिया ने अपनी बेटी आयशा को पढ़ाया-लिखाया। अब वह स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। बहुत किफ़ायत कर बचत की और पति के लिए साइकिल मरम्मत की दुकान खोल दी। पति दिन भर की कमाई पत्नी को दे देते।

राबिया ने एक दिन अचानक कहा, "बहन क्या करूं ? बड़ी मुश्किल से जो बचाया था वह सब लुट गया।"

आयशा बोली—'अब्बा के लिए साइकिल की छोटी सी दुकान खड़ी की थी, एक शरारती भीड़ ने आकर जला दी। अब्बा फिर बेकार हो गए।'

सब्जी बेचने वाली लक्ष्मी का कहना था कि अचानक कर्फ्यू लग गया और सबको भागना पड़ गया। घबराहट में कुछ नहीं ले पाए। छः सात सौ रुपयों का नुकसान हो गया।

लीला का फल-फूल का धंधा है। जितना ले जा सके उतना ले गए, लेकिन कर्फ्यू में कौन और किसे बेचने जाएं। पंद्रह सौ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा।

मछली बेचने वाली बालू ने ताजी मछलियां खरीदी थीं। वह जस की तस पड़ी रहीं। पैसे तो गए ही, सड़े माल को उठवाने की मजदूरी अलग देनी पड़ी।

कांता बीड़ी का काम करती है। बीड़ी का माल लेने के लिए उसे रखियाल से गोमतीपुर जाना पड़ता है। कर्फ्यू में माल नहीं ला पाई, इसलिए उसकी रोजी बंद हो गई।

डाली कागज की रद्दी बीनकर बेचने का काम करती है। कर्फ्यू में घर से बाहर नहीं निकल पाई। इसलिए उसका धंधा बंद हो गया। तब दो जून पेट का गड्ढा कैसे भरा जाए? घर में जो कुछ था खत्म हो गया।

शारदा भी बीड़ी बनाने का काम करती है। किसी तरह कुछ बचत कर सेवा बैंक में पैसा जमा किया था और कर्ज का इंतजाम कर पति के लिए रिक्शा खरीदी थी। दंगाइयों ने रिक्शे पर पथराव कर उसे तोड़ डाला। पुलिस मौके पर पहुंच गई, इसलिए वह जलने से बच गया। रिक्शा पुलिस की हिरासत में है। रिक्शे का धंधा बंद है। रिक्शे की मरम्मत होगी। तब तक कर्ज की साप्ताहिक किश्तें कैसे भरी जाएं, यह सवाल उनके सामने मुंह बाए खड़ा है। उसका बीड़ी का काम भी बंद है।

हकीकत

ये कहानियां नहीं, हकीकत है। देश के सभी कोनों में जहां दंगे हो रहे हैं यही हालात हैं।

आग की आंखें नहीं होतीं
ना ही फर्क करती वह
शब्बर हुसैन और बुध सिंह में
नहीं पहचानती वह
किसी राजनीति या सियासत को
किसी धर्म या मजहब को

सामान्य आदमी सांप्रदायिकता से परे है। गरीब एक साथ मिल बैठकर काम करते हैं। बीड़ी कारखाने का मालिक हिंदू है तो ठेकेदार मुसलमान। बीड़ी बनाने वाले और पीने वाले दोनों ही कौमों के लोग हैं। गांवों के खेतिहर मजदूर भी दोनों ही कौमों के लोग होते हैं। झुग्गी-बस्ती में सब कौमों के लोग रहते हैं। शादी-ब्याह सुख-दुःख सब मौकों पर वे एक दूसरे का साथ देते हैं। आपस में दोस्ती और बहन-चारा है। वे एक दूसरे को आपा या दीदी कहकर बुलाती हैं।

इंसान सब एक हैं। उनके खून का रंग, उनकी भावनाएं, इच्छाएं, अरमान और सपने एक हैं। ज्यादातर लोग अमन-चैन चाहते हैं। सत्ता के भूखे लोगों ने उनका अमन-चैन छीन लिया है।

सरकार या हम क्या कर सकते हैं? सरकार सुरक्षित स्थानों पर आवास बना सकती है जिससे गरीबों को बार-बार बेघर और बेकार न होना पड़े। जीवन का सही रास्ता एकता का है। सबको एकता के रास्ते की ओर मोड़ना जनता का काम है। □

मत उजाड़ो घर लेकर धर्म का नाम
परिवार के लिए अनमोल है हर एक की जान

यौन हिंसा पर खामोश न रहें, वार करें

कमला भसीन

आप अपनी धुन में सड़क पर जा रही हैं, अचानक कोई मर्द सीटी बजा कर, या आंख मार कर आप को छेड़ता है, या कोई अशलील बात कह कर आपका अपमान कर देता है। कभी लड़कों का पूरा झुंड पास से निकलती हुई लड़की को छेड़खानी करने लगता है। भीड़ में औरतों या लड़कियों को नोचना, उनके शरीर को अपमानजनक तरीके से छूना भी आम बात है। इस तरह के अत्याचारों की हद है बलात्कार।

इन सभी अत्याचारों को यौन या 'सैक्स' हिंसा कहा जा सकता है। ये सभी छेड़खानियां और बलात्कार हम औरतों के यौन पर हिंसा हैं। यह हिंसा औरतों पर कहीं भी हो सकती है—घर से बाहर भी और घर के अंदर भी। अपने सगे-संबंधी भी (ससुर, देवर, जेठ, मामा, चाचा या अपना खुद का पिता) यह हिंसा कर सकते हैं और अनजान, पराये लोग भी।

यह हिंसा हर उम्र की औरत पर हो सकती है—चाहे वह दो-तीन साल की बच्ची हो या पचास-साठ साल की प्रौढ़। यानि हममें से हर औरत हर जगह अपने आप को असुरक्षित महसूस कर सकती है। हमारे मन में यौन हिंसा का डर हमेशा रहता है।

दोहरी नैतिकता

इस हिंसा पर समाज का रवैया भी बहुत ही दोगला और अजीब है। जिसके साथ यौन हिंसा होती है उसे ही दोषी ठहराने की कोशिश की जाती है। जिस औरत का बलात्कार होता है उसके लिए कहते हैं कि उसकी "इज्जत" लुट गई। जब कि जो बलात्कार करता है उसकी "इज्जत लुटनी" चाहिए, उसकी "नाक कटनी" चाहिए, उसे "शर्म से डूब मरना" चाहिए। इस उल्टी नैतिकता पर सोचना ज़रूरी है। क्या यह बात अजीब नहीं है कि बलात्कार के डर की वजह से लड़कियों को क़ैद कर दिया जाए और बलात्कार करने वाले खुलेआम घूमें? चोर बाहर और साहूकार जेल में? यह तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हुई। इसे न नैतिकता कहा जा सकता है, न न्याय।

लड़कियों पर तमाम बंदिशें दोहरी नैतिकता की वजह से हैं। पुरुष कई संबंध रखे उसे माफ़ है। लड़की के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती भी हो तो उसी को दोषी ठहराया जाता है। कहते हैं मर्दों को तो सौ खून माफ़ हैं। इस दोहरी नैतिकता, इस तरह की सोच को बदले बिना लड़कियों की बंदिशें

खत्म नहीं होंगी। पढ़ने क्यों नहीं भेजते? लड़के छेड़ेंगे या अध्यापक फ़ायदा उठाएंगे। काम पर क्यों नहीं भेजते? कुछ हो गया तो नाक कट जाएगी। जल्दी शादी क्यों करते हो? लड़की को संभालना बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसलिए जिसकी अमानत है उसे माहवारी शुरू होने से पहले सौंप देना अच्छा है। हर सवाल का वही जवाब। हर बंदिश की वही वजह।

औरों का वहशीपन लड़कियों के लिये बंधन बन जाता है। लड़कियों को बांधने की जगह हम कुकर्म क्यों नहीं रोकते? हम उन्हें क्यों नहीं बांधते जो आक्रमण करते हैं? आखिर आक्रमणकारी हमारे ही घरों में तो पलते हैं।

इस सवाल पर हर पुरुष को भी सोचना होगा। क्या आक्रमण करना, अन्याय करना पौरुष है? क्या हिंसा करना इंसानियत है? क्या ज़ोर के बल पर जीना हैवानियत नहीं? क्या दोहरी नैतिकता ग़लत नहीं?

ख़ामोशी छोड़ें

इस सब पर सबसे ज़्यादा हम औरतों को खुद सोचना और समझना है। हम भी तो अधिकतर यौन हिंसा चुपचाप सह लेती हैं। हम भी तो ख़ामोश रह कर इस तरह की हिंसा को और बढ़ावा देती हैं। कई दफ़ा हम भी तो अपने आप को अपराधी समझने लगती हैं। कोई हमारे साथ छेड़खानी करता है तो हम सोचती हैं "शायद मुझ में ही कुछ होगा जो उसने मुझे छेड़ा"। इसी कारण हम किसी को कुछ नहीं कहतीं। जब हिंसा करने वाले सगे संबंधी होते हैं तो हम डर और बेबसी से अपराधी का नाम नहीं बता पातीं। इन्हीं

सब कारणों से अपराधी सरेआम घूमते हैं। इन अपराधों को और शह मिलती है। यौन हिंसा हमारे लिये बंधन बन गई है, हमारे पैरों की बेड़ी बन गई है। अंधेरा होने के बाद तो हम औरतें अपने घरों में क़ैद हो जाती हैं।

इन बंधनों, इस डर और बेबसी से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। यह तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा औरतें यौन हिंसा के बारे में बात करेंगी और इस हिंसा का मुकाबला करने के लिए अपने इरादे बुलंद करेंगी।

अभी तो हम यह भी नहीं जानते कि यौन हिंसा के ख़िलाफ कोई कानून भी हैं या नहीं। अगर हैं तो क्या हैं और उनका किस तरह प्रयोग किया जा सकता है।

सही जानकारी

अभी हाल ही में दिल्ली की दो महिलाओं ने—जिनके नाम हैं **जसजीत पुरेवाल और नैना कपूर**, यौन हिंसा के बारे में एक छोटी सी लेकिन बहुत ही अच्छी पुस्तक निकाली है। पुस्तक में यौन हिंसा और ख़ासतौर से बलात्कार का मुकाबला करने के लिए बहुत सारी जानकारियां

हैं। इस में बताया है कि कौन-कौन सी हरकतें क़ानूनी तौर से भी अपराध हैं। इन क़ानूनों की जानकारी दी गई है और यह भी समझाया गया है कि क़ानूनी कार्रवाई किस तरह की जानी चाहिए। हमारे हक़ क्या हैं। यह भी विस्तार से बताया है।

क़ानून के अलावा भी औरतें मिल कर यौन हिंसा का कैसे मुक़ाबला कर सकती हैं, इस पर भी इस पुस्तक में जानकारी दी गई है।

बच्चों पर होने वाली यौन हिंसा पर भी इस किताब में चर्चा की गई है। इस किताब को पढ़ने पर लगता है कि यौन हिंसा के खिलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और संभव भी। जो सुझाव दिए गए हैं वे हम सब कर सकते हैं। यह किताब बेबसी और डर को दूर करने में हमारी मदद कर सकती है।

इस किताब का नाम है "क्या आप पर काम-हिंसा हुई है?" इसे निम्न पते से मंगवाया जा सकता है।

जसजीत पुरेवाल/नैना कपूर
बी 5/197 सफ़दरजंग एन्कलेव
नई दिल्ली-110 029.

यौन हिंसा के बारे में सच्चाई क्या है और प्रचलित गलत धारणाएं क्या हैं, इसकी पूरी जानकारी इस किताब में है। इसी पर आधारित है अगला लेख। ◻

गलत धारणाएं छोड़ें सही धारणाएं अपनाएं

औरतों को शोषण से बचाने और उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए कई कानून हैं। लेकिन सिर्फ कानून बन जाने से न शोषण खत्म होता है, न बेहतर जीवन मिल पाता है। कानूनों को अमल में लाने के लिए उपयुक्त सामाजिक वातावरण जरूरी है, इंसानी सोच में बदलाव जरूरी है।

बलात्कार संबंधी कानून ही लें। इस कानून के तहत बलात्कारी को साबित करना होता है कि उसने बलात्कार नहीं किया। बलात्कार की शिकार औरत को कानून एकदम दोषी नहीं मानता। लेकिन समाजिक धारणाएं क्या हैं? क्या बलात्कार की शिकार लड़की और उसका परिवार आगे आकर दोषी पुरुष को सज़ा दिलवाने की कोशिश करते हैं? ज्यादा मामलों में नहीं। इसका मुख्य कारण है शर्म जो मौजूदा सामाजिक धारणाओं पर आधारित है।

गलत धारणाएं

काम हिंसा (बलात्कार) के बारे में कुछ गलत आम धारणाएं हैं—

● पुरुष औरतों पर काम-हिंसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी इच्छा पर काबू नहीं पा सकते।

● काम-हिंसा अंधेरी गलियों में अनजान लोगों द्वारा बिना सोचे-समझे की जाती है।
● भली लड़कियों पर काम-हिंसा नहीं होती।
● औरतें काम-हिंसा पसंद करती हैं। इसमें दोष उन्हीं का होता है।
● जब औरत 'न' कहती है तो उसका मतलब 'हां' होता है।

सही धारणाएं

● बलात्कार ज्यादातर सोच-समझ कर किया गया एक हमला होता है।
● काम-हिंसा द्वारा पुरुष औरतों को दबाना और बेइज़्ज़त करना चाहते हैं।
● काम-हिंसा घर की चारदीवारी में बड़ी संख्या में होती है। बच्चियों से लेकर बूढ़ियां तक काम-हिंसा का शिकार होती हैं।
● लड़कियों और औरतों के पहनने-ओढ़ने और साज-श्रृंगार को दोष न दें। यह बलात्कार का कारण नहीं होते।
● पति को पत्नी की 'न' का आदर करना चाहिए।
● बलात्कारी को समाज व कानून के सामने लाना जरूरी है। शर्म के कारण चुप न बैठें।

शर्म वह ताकत है जिसकी मदद से समाज औरतों को दबाने में सफल होता है। मर्दों को यह ताकत न दें। काम-हिंसा औरतों का अपमान है और इसका मुकाबला हमें पूरी ताकत लगाकर करना होगा।

अपनी सबसे बड़ी ताक़त हम खुद हैं। जिसके साथ काम-हिंसा हुई हो उसे सिर झुकाकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके प्रति एक अपराध हुआ है। उसके नज़दीकी रिश्तेदारों को उसे भावनात्मक सहारा देना चाहिए।

काम-हिंसा लड़की की असावधानी का नतीजा भी नहीं है। क्योंकि यह कभी भी कहीं भी हो सकती है। अन्य औरतों को उसके साथ अपने काम-हिंसा के अनुभवों को बांटना चाहिए। जिसके साथ काम-हिंसा हुई है उसे तो अपराधी किसी हालत में भी नहीं ठहराना चाहिए। इससे उलटे काम-हिंसा करने वाले अपराधी को शह मिलती है।

इस विषय में हमें सही धारणाएं अपनाना ज़रूरी है। किसी महिला के पति अथवा ससुराल वालों द्वारा गलत व्यवहार देखकर हमें चुप नहीं बैठना है। हर औरत पर किया गया हमला हमारे ऊपर भी हो सकता है। हमें गलत व्यवहार करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करना ही होगा।

"बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे
बोल ज़ुबां तेरी है
तेरा रुतवा जिस्म है तेरा
बोल कि जां अब तेरी है
ख़बरदार! क्योंकि वक्त बहुत नहीं थोड़ा है
बोल, जो कुछ कहना है कह ले।" —फैज़

बिटिया ब्याही गई

जन नाट्य मंच द्वारा तैयार किया गया नाटक "छोटी सी बिटिया की कहानी" आपने पिछले अंक में पढ़ी। अब दे रहे हैं उसके जीवन की अगली कड़ी।

(गोलाकार अभिनय-स्थल, चार अभिनेता, एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर गोल-गोल घूमते हुए मंच पर आते हैं। उनके बीच एक अभिनेत्री भी है। मंच के बीच में आकर रुकते हैं। दर्शकों की तरफ़ पलटकर मुंह करते हैं। अभिनेत्री थोड़ा अलग को होकर आगे आती है।)

औरत— मैंने घर के काम-काज के साथ मज़दूरी करना भी शुरू कर दिया था। फिर भी मैं एक बोझ हूं। इसीलिए मेरा लगन तय हुआ है। लड़का कपड़े की मिल में 175 रु. पाता है।

(तीन अभिनेता उठते हैं। एक रामनाम का दोशाला ओढ़े पंडित है। दूसरा दूल्हा, तीसरा ससुर। बाबा दायरे में बैठ जाता है। पंडित औरत का पल्लू दूल्हा के पेट से बांधता है। दोनों बीच में बैठे अभिनेता या अभिनेताओं का चक्कर काटते हैं।

एक फेरा पूरा होने पर पंडित के सामने रुकते हैं।)

पंडित— सास-ससुर की आज्ञा मानोगी। पति को साक्षात भगवान मानोगी। पहले उन्हें खिलाओगी, फिर खुद खाओगी। पति-ससुर अन्याय भी करें तो उसे न्याय मानोगी। कभी पलटकर जवाब नहीं दोगी। आंखें नीची रखोगी। घर का काम-काज संभालोगी।

पति— फ़ौरन कोई काम तलाश करोगी। सबेरे ही सब्ज़ीमंडी से साग-तरकारी लाओगी। फिर कुंए से पानी, बाबा का हुक्का भरोगी, झाड़ू-पोछा, चौका-चक्की सब तुम्हीं संभालोगी।

ससुर— इस घर में आराम नहीं, बोझ बंटाने आई हो। अपनी सास को आराम दोगी, सारा काम संभालोगी।

पंडित— तथास्तु

(पंडित, पति और ससुर अपनी-अपनी मुद्राओं में थम जाते हैं। औरत अपना पल्लू खोलती है। इस तरह गृहस्थी की चक्की से पिसते-पिसते आठ बरस हो गए। ससुर, पति और पंडित वापस दायरे में बैठते हैं।)

औरत—चार बच्चे हैं। कमजोर, गंदे चीं पीं करते हुए। 25 साल की उमर में 40 साल की बुढ़िया लगती हूं। मुंह अंधेरे जगती हूं। घर का काम-काज

करती हूं, चक्की पर जाती हूं, गेहूं साफ़ करने। दोपहर का चौका-बरतन कर फिर काम पर जाती हूं। शाम ढले लौटती हूं। फिर सारा काम। ससुर जी के मरने के बाद से ही मेरा आदमी शराबी हो गया है। (पति बैठे-बैठे बोलता है—'हरामज़ादी'।) रात-दिन मारपीट और गाली-गलौज करता है। थाने में नाम दर्ज है उसका।

(पति शराब की बोतल लेकर उठता है।)

पति—अरी ओ हरामज़ादी! यह मुन्ना क्यों रोए जा रहा है?

औरत—जाग गया है, तुम्हारे दहाड़ने से।

पति—चुप कराओ इसे। नहीं होता तो उठाकर बाहर फेंक दे सूअर के बच्चे को! *(अपनी मुद्रा में थम जाता है।)*

सूत्रधार—क्या होगा इन सूअर के बच्चों का? दिन भर आवारा घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई का कोई प्रबंध नहीं है, बड़े होकर अपने बाप पर ही जाना है इन्हें।

औरत—बड़े होंगे तो काम की तलाश में मारे-मारे भटकेंगे, न जाने कहां-कहां जाएंगे! मुझसे दूर। मैं हमेशा ही अकेली, हमेशा ही ख़ामोश, किसके सहारे जीऊंगी? चक्की से जवाब मिल गया तो किसके दरवाज़े पर जाऊंगी? हे भगवान, तू ही कुछ कर।

पति—भगवान क्या कर लेगा? उसे तेरी तरफ देखने की क्या पड़ी है? सेठ जी का बंगला उसे पसंद है, सेठानी गोरी चिट्टी है। भोग भी वह अंग्रेजी की बोतल का लगाता होगा।

औरत—यह उल्टी-सीधी न बको। इसी सबके कारण तो यह हाल है। मंदिर जाते भले मानस की तरह रहते तो घर की हालत ही और होती आज।

औरत

जीवन को जन्म
देती है औरत
बुहारी नहीं है
बर्तन नहीं है
बिस्तर नहीं है
हाड़ और मांस की कोई
बेजान मशीन नहीं है
दुनिया को जिन्दा रखने की
उमंग है औरत
जिंदगी का रंग है औरत
मौत से जूझते हुए
आदमी के संग है—औरत।

'कठपुतली' से साभार

पति—हरामज़ादी कहीं की, ज़ुबान चलाती है। *(धक्का देता है, औरत गिर पड़ती है।)* आदमी को कहीं आराम ही नहीं। फैक्ट्री से थका मांदा आता है। फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की भौं-भौं, घर में तेरी। दान-दहेज़ के नाम पर तो बाप को सांप सूंघ गया था। बेटी है कि होश ही ठिकाने नहीं है। चल उठ, घर का कामकाज कर। बड़ी आई है हरामज़ादी।

(दोनों दायरे में बैठ जाते हैं, सूत्रधार उठता है।)

सूत्रधार—बाप के, भाई के, खाविंद के ताने तिश्नों को सुनना तमाम उमर। बच्चे जनना, सदा भूखे रहना। मेहनत करना हमेशा कमर तोड़कर। और बहुत से ज़ुल्मों-सितम औरत के हिस्से में आते हैं।

□

उसका बदलना

वासंती रामचंद्रन

वह एक ऐसे परिवार में पली, बढ़ी जहां पुराने ख्यालों का बोलबाला था। यह नहीं करना, वह नहीं करना। उसे लड़कों से बात करने की इज़ाज़त नहीं थी। आठवीं क्लास से ही उसे साड़ी पहननी पड़ी। सिर्फ ज़रूरी कामों को छोड़कर वह बाहर नहीं जा सकती थी। उसके अंदर एक दहशत भर दी गई थी। उसकी शादी जल्दी कर दी गई। वह मजबूर थी।

अपने परिवार में खूब सारे भाई बहनों का शोरगुल उसे बिलकुल नहीं भाता था। उसके अंदर एक छोटे से सुखी परिवार का सपना पल रहा था।

उसके पति की मामूली आमदनी थी। उसने दो लड़कियों के बाद ऑपरेशन करवाना चाहा। लेकिन सास ने झिड़की दी, "बिना लड़के के बुढ़ापा कैसे कटेगा?"

उसका मन अब और बच्चा पैदा करने के हक़ में नहीं था। एक दिन बाज़ार जाने के बहाने वह परिवार-कल्याण केंद्र गई और कॉपर टी लगवा ली। इसकी ख़बर भी उसने पति को एक साल बाद दी। यह सब उसने पूरे परिवार की भलाई के लिए किया था।

उसकी और बच्चे न होने की रट और बढ़ती मंहगाई को देखकर सास व पति ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए। उसकी गृहस्थी अब एक सुखी गृहस्थी है। खाली समय में कुछ काम करके वह घर में आर्थिक सहायता भी कर पाती है।

लड़कियों को वह उतनी ही आज़ादी देती है जो उनकी प्रगति के लिए सहायक है। वह उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की सीख देती है। उसने लड़कियों को कपड़ों आदि के बारे में पूरी आज़ादी दी है। बस के सफ़र में जीन्स पहनने से सुविधा होती है तो वह उन्हें साड़ी पहनने को मजबूर नहीं करती। बेटियों को खूब पढ़-लिख कर कुछ बनने का चाव है। उसे अपनी बेटियों को देखकर खुशी होती है। जिस आत्म-विश्वास की कमी उसमें थी उसकी बेटियों में नहीं है। □

औरत भी जिंदा इंसान
नहीं भोग की वह सामान

बेटियों

मुंह सी के अब जी न पाऊंगी
जरा सब से ये कह दो

मैय्या कहे बिटिया सीस झुकाना
सर को मैं ऊंचा उठाऊंगी
अपने को अब ना झुकाऊंगी

बाबू कहे बिटिया पढ़ने न जाना
अपना मैं ज्ञान बढ़ाऊगी
अपना मैं मान बढ़ाऊंगी

सपने

भैय्या कहे बहना चौखट न लांघो
चार दीवारी को गिराऊंगी
पिंजरों से पीछा छुड़ाऊंगी

शास्तर कहें पिता पति हैं स्वामी
अब ना गुलामी कर पाऊंगी
रिश्ते बराबर के बनाऊंगी

दुनिया कहे मुनिया मन की ना करना
अपने मन को ना अब मैं दबाऊंगी
अपने ही सपने सजाऊंगी

शब्द: कमला भसीन
जया श्रीवास्तव
चित्र: तापोसी

(धुन: भरी दोपहरी में न जाऊंगी)

मिलता नहीं किनारा

(एक नवसाक्षर बहन का गीत ज्यों का त्यों।)

जिना मुसकिल, मरना मुसकील
कैसी जीवन धारा, कैसी जीवन धारा
दुनिया जल थल इनसां अकेला
मिलता नहीं किनारा ओ ओ
जिना मुसकील मरना मुसकील
लंबी सड़क है, दौड़ लगी है
भागम-भाग पड़ी है
किसको पकडु किस का छोडु
कैसी विकट घड़ी है।
सब हैं पराये कोईना अपना
किसको बनाऊ सहारा, ओ ओ
जिना मुसकील मरना मुसकील
जग में उजाला, मन में अंधेरा
कैसे दिप जलाऊं
बिन बाती दिप जले न
मन को कैसे बहलाऊं
घुमले मनवा तोड़ दे बन्दन
बन जा किसी की धारा, ओ ओ
जिना मुसकील मरना मुसकील
कोन है अंधा कोन बुरा
कोन सी है भलाई
कोई खाए हलवा पूरी
कोई खाए मिठाई
कोई सोए भुखा प्यासा
केसा आए उसका सबेरा, ओ ओ
जिना मुसकील मरना मुसकील
केसी जीवन धारा
दुनिया जल थल इन्सा अकेला
मिलता नहीं कनारा।

भगवानी देवी

जहां औरतों का दर्जा ऊंचा है

मेघालय का समाज

वीणा शिवपुरी

पतली-पतली गलियों के दोनों तरफ छोटी-छोटी दुकाने हैं। यहां सब्जी-फल से लेकर कपड़े-जूते और बाकी सब सामान मिलता है। इस बाजार की खास बात यह है कि यहां ज़्यादातर दुकानों को औरतें चलाती हैं।

ये औरतें खूब सज-धज कर रहती हैं। इन्हें पान और कच्ची सुपारी खाने का बहुत चाव है। इनकी सूरत देख कर ही पता चल जाता है कि ये औरतें पहाड़ी हैं। इनकी नाक चपटी और आंखें तिरछी और छोटी-छोटी होती हैं। ये हैं मेघालय प्रांत की औरतें।

मेघालय प्रांत हमारे देश के उत्तर पूर्व में पहाड़ों पर बसा हुआ है। यहां तीन तरह की जन-जातियों के लोग रहते हैं। उनके नाम हैं खासी, जैंतिया और गारो।

करीब सौ साल पहले अंग्रेज पादरी वहां गए। उन्होंने स्कूल खोले। लोगों को पढ़ना-लिखना सिखाया। साथ ही उन्होंने वहां ईसाई धर्म भी फैलाया। आजकल वहां ज्यादातर लोग ईसाई हैं। उनके पुराने धर्म को मानने वाले कुछ लोग भी हैं। ये लोग पितरों को पूजते हैं। पेड़-पौधों और कुछ जानवर और चिड़ियों की भी पूजा करते हैं।

परिवार की मुखिया

मेघालय के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। इस समाज की एक बड़ी खास बात है। यहां किसी भी आदमी-औरत के खानदान का पता उसकी मां के नाम से चलता है। लोग बाप के नाम की जगह मां का नाम अपने नाम के साथ लगाते हैं।

मां घर की मुखिया होती है। मकान, जमीन, खेती-बाड़ी सबसे छोटी बेटी को मिलते हैं। सबसे छोटी लड़की और उसका पति मां बाप के साथ रहते हैं। वे मां-बाप और बाकी भाई-बहनों की देखभाल करते हैं। घर में मामा यानि मां के भाई का बड़ा नाम होता है। हर काम उसकी सलाह से होता है।

जो मर्द सबसे छोटी बेटी से शादी करता है वह अपने ससुराल में रहता है। बाकी सब बेटे-बेटियां अलग अपना घर बसाते हैं। लेकिन सबका अपनी मां के घर से बड़ा नज़दीक का रिश्ता रहता है। कोई भी मुसीबत पड़े तो मां, मामा और सबसे छोटी बहन मदद करते हैं।

औरतों का ऊंचा दर्जा

यहां की औरतें बहुत मेहनती होती हैं। खेती-बाड़ी से लेकर दुकानदारी और व्यापार भी संभालती हैं। अपना घर भी खूब साफ़-सुथरा

रखती हैं। बेटी के पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं। औरतों को बड़ी इज़्ज़त दी जाती है।

औरतें रात-बिरात अकेली कहीं भी आ-जा सकती हैं। बाज़ार या बस की भीड़भाड़ में भी औरतों के साथ कोई मर्द भद्दी हरकत नहीं करता। अगर दो मर्दों का आपस में कोई झगड़ा हो तो भी उस समय बदला नहीं लेते जब कोई औरत साथ हो। घर में और समाज में औरत का दर्जा ऊंचा है।

यहां सास-ससुर की ताड़ना, पति की मार-पीट, सड़क चलते छेड़छाड़ का नामनिशान भी नहीं है। दहेज, हत्या और बलात्कार भी नहीं होते। हमारे देश के एक हिस्से में ऐसा सुंदर समाज भी है। □

मेघालय के पवित्र जंगल

हमारे देश के उत्तर पूर्व में मेघालय राज्य है। आजकल वहां ज्यादातर लोग इसाई हैं। बहुत समय से उनका एक रिवाज़ चला आ रहा है। कुछ जंगलों को वे लोग पवित्र जंगल मानते हैं। सैंकड़ों सालों से किसी ने इन जंगलों के पेड़ों को नहीं काटा है। ये लोग मानते हैं कि पवित्र जंगल के पेड़ काटने से उनका नुसकान होगा। इन जंगलों में कोई चौकीदारी नहीं करता। यहां कोई बाड़ भी नहीं लगी है। फिर भी जंगल सही-सलामत रहते हैं। इन जंगलों में आज भी बड़े-बड़े घने पेड़ हैं। यहां खूब हरियाली है। ज़मीन बेलों और झाड़ियों से ढकी हुई है। कैसा अच्छा रिवाज़ है मेघालय के लोगों का।

बदल गया ज़माना

चेहरे उतर जाते हैं सबके
कन्या के पैदा होते ही
बंद हो जाता है मंगलगान
क्या यही है उसकी नियति?

लड़की भी परिवार की इकाई है
फिर लड़के लड़की में क्यों खाई है
एक सी शिक्षा एक सा प्यार
क्यों मिले न उसे समान अधिकार

घर वालों ने पराई बनाया
ससुराल वालों ने खूब सताया
चुप रहना, अत्याचार सहना
क्या यही है जीवन?

बेटे बेटी का अंतर निकाल दो
है वह एक समान जान लो
बात सभी यह सुनते जाना
सुन री सखी बदल गया ज़माना।

रामचंद्र राठौर
लालखेड़ी (म.प्र.)

निरक्षर से प्रेरक तक का सफर

मनोहर लाल आर्य

उसका जन्म एक मामूली खेतिहर परिवार में हुआ था। पुराने ख्यालों के माता-पिता ने उसे तीसरी कक्षा के बाद स्कूल नहीं भेजा। तेरह वर्ष की आयु में उसका ब्याह कर दिया गया। ससुराल में बिल्कुल ही शिक्षा का वातावरण नहीं था। कृष्णा पहले का पढ़ा-लिखा भी भूलने लगी। मगर उसे इसकी कमी बहुत सालती रही।

इसी बीच सन् 1983 में गांव छापुर की ढाणी में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र शुरू हुआ। गांव की सभी महिलाएं निरक्षर थीं। विद्यालय के अध्यापक की पुत्री को केंद्र के संचालन का काम सौंपा गया। कृष्णा यादव को तेरह बरस बाद स्कूल जाने में संकोच तो बहुत हो रहा था, पर पढ़ने की तेज़ इच्छा ने विजय पाई।

कृष्णा को पढ़ने का शौक इतना था कि खाली समय में भी वह पुस्तकें पढ़ती, पत्र लिखती। उसकी लगन और मेहनत का यह फल हुआ कि एक ही साल में उसने बहुत कुछ सीख लिया।

सन् 1984 में उन्हें केंद्र के अनुदेशक का काम सौंप दिया गया। इस नई जिम्मेदारी को कृष्णा ने बखूबी निभाया। अपने मधुर व्यवहार और लगन से वह गांव की स्त्रियों में लोकप्रिय हो गई। ऐसा जादू किया कि महिलाएं केंद्र शुरू होने का इंतजार करतीं।

कृष्णा की कोशिशों से आज ढाणी की सौ फी सदी महिलाएं साक्षर हैं। उसे आदर्श अध्यापक माना जाता है। कृष्णा खुद भी बराबर पढ़ती रहती हैं। 1986 में उन्होंने राजकीय माध्यमिक विद्यालय से आठवीं कक्षा पास की।

1988 में कृष्णा यादव की सक्रिय सहभागिता और नेतृत्व को देखते हुए उन्हें जन-शिक्षण निलियम का प्रेरक बनाया गया। यह निलियम इनके गांव में ही खोला गया।

साक्षरता कार्यक्रम के अलावा वह दूसरे राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे परिवार-कल्याण, अल्प बचत और पेड़ लगाने आदि में भी योगदान देती रही हैं। उन्हें अच्छा काम करने के कारण ज़िला कलक्टर अलवर से प्रशंसा-पत्र भी मिला है।

—'अनौपचारिका' से साभार

औरतों ने बिगड़ी बात बनाई

1989 में ज़िला सोलन के शेरला गांव में एक ठेकेदार ने पेड़ खरीदे। गांव के मर्दों ने खैर का कत्था पकाने के लिए जलाने की लकड़ी भी बेच दी। खैर जड़ समेत निकाले गए। खुदाई की गई थी। ज़मीन में घास तक नहीं उग पाई। औरतों को घास व लकड़ी की कमी बहुत खटकी।

1990 में राजपुरी में भी एक ठेकेदार ने जलाने की लकड़ी का सौदा किया। पुरुषों ने सौदा कर लिया और कटान का काम शुरू हो गया।

महिला मंडल की सदस्याओं ने बैठक बुलाई। उन्होंने तय किया कि इस बारे में जंगलात अफ़सर से बात करेंगी। एक दिन सारी महिलाएं इकट्ठी होकर कोटी नर्सरी पहुंच गईं। वहां डी.एफ.ओ. व रेंजर आदि अफसर भी आए हुए थे।

औरतों ने उनसे पूछा—"जब हम लकड़ी काटते हैं, तो आप हमारे औज़ार छीन लेते हैं। जब हमारी ज़मीन का सत्यानाश हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोलता। हमें बताओं, कौन रोकेगा उन्हें? कौन बचाएगा हमारे जंगल?" अफसरों ने कहा—"आप अपने जंगलों की रक्षा खुद करो। आप उनके औज़ार छीनकर लाओ और हमारे पास जमा करवा दो। औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं।"

औरतों ने कटानियों से जाकर कहा—"अगर हमारी शामलात ज़मीन में पैर रखा तो हम आपका सिर पत्थरों से तोड़ देंगीं। अगर आप फिर भी नहीं माने तो हम आपके औज़ार ले लेंगी। उसके बाद अगला कदम उठाएंगीं।"

कई दिन बाद जब ठेकेदार आया तो कटानियों से पूछने लगा—"आप लोगों ने अभी तक कोई काम क्यों नहीं किया?"

कटानियों ने जवाब दिया—"अगर औरतों ने हमारे सिर तोड़ दिए या हमारे औज़ार ले लिए तो इसका ज़िम्मेवार कौन होगा?" ठेकेदार डर गया और कटान बंद हो गया। अभी तक वहां कोई लकड़ी नहीं काटी गई है।

'हिम महिला' से साभार

□

दीप जलाएं

साक्षरता का दीप जलाएं
हम पढ़ें औरों को पढ़ाएं
हम सुधरें, सुधरेगा ज़माना
गूंजे यह नारा, हो यही तराना।

मिटे कलंक निरक्षरता का
जले दीप साक्षरता का
धरती को स्वर्ग बनाएं
सांप्रदायिकता को त्याग
सद्भावना फैलाएं।

हो नए युग का निमार्ण
हों सभी चेतन, कुशल और सबलाएं
एकजुट होकर इक्कीसवीं सदी में
देश के भविष्य को उज्जवल बनाएं।

कृष्णा कुमारी सिंह
प्रौढ़ शिक्षा पर्यवेक्षक
कोढ़ा – कटिहार (बिहार)

प्रेरकों ने लिखा है

पुरानाबास, नीमकाथाना (राजस्थान): प्रेरक श्री सरदार सिंह जाखड़ लिखते हैं—

गांव की श्रीमती सजना देवी ने अपना भविष्य सुधार लिया। पहले वह भेड़-बकरियां चराती थी। आज वह अनुदेशक के रूप में आगे बढ़कर नए-नए डिज़ाइनों के स्वेटर बनाती हैं। आसपास की महिलाएं उसके पास आकर स्वेटर बनाना सीखती हैं।

सजना देवी 28 वर्ष की है। प्रौढ़ शिक्षा योजना में पढ़कर अब अनुदेशक हो गई है। वह अन्य ग्रामीण महिलाओं को पढ़ाने के लिए उत्साहित करती है।

साक्षरता व्यापे जन-जन में
समझ बढ़े जब, महके ठोर
दूर करो अज्ञान धरा से
चमके जन-जाति का भोर।

श्री जाखड़ ने आगे लिखा है कि नीमकाथाना के पांचों जन-शिक्षण निलियमों में नुक्कड़ नाटक, ग्राम सभा, चेतना शिविर और सामूहिक जन-जागृति गीतों से साक्षरता प्रसार की समझ बढ़ी।

— — —

मिर्जापुर वाया सादात, गाजीपुर (उ.प्र.): प्रेरक सुश्री सुशीला सिंह लिखती हैं—

'सबला' जैसी पत्रिका पहली बार देखी है। पत्रिका नवसाक्षरों और वह भी ग्रामीण महिलाओं के लिए उपयोगी है। प्रिंट, चित्र, स्पष्ट छपाई के लिए आपको बधाई। आज महसूस हुआ कि ग्रामीण अंचल में रहने वाली महिलाओं की कितनी उपेक्षा है। आप दिल्ली के निकट और हम हज़ारों मील दूर। हमारा ध्यान दिलाने के लिए आपको बधाई।

— — —

गांव डोडी, झालावाड़ (राजस्थान): प्रेरक श्री रमेशचंद्र जैन—

'सबला' पत्रिका यथा नाम तथा गुण की उक्ति को सार्थक करती है। इसमें जो लेख आते हैं वे महिलाओं को जागरूक बनाने व संकोच तोड़कर आगे आने की प्रेरणा देते हैं। निरंतर पत्रिका भिजवाते रहना जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

— — —

गांव देवली, देवास (म.प्र.): प्रेरक श्री दिनेश शर्मा लिखते हैं—

'सबला' का माह अगस्त-सितंबर का अंक बहुत शिक्षाप्रद रहा। अभी तक हम महिला शिक्षा पर आधारित गीतों व नाटकों से साक्षरता पर काम कर रहे हैं। 'सबला' की मदद से हम काफ़ी प्रमाण अपने नाटकों और गीतों में जोड़कर उन्हें ज्यादा प्रभावशाली बना सके।

एक सुझाव है। ग्रामीण अंचलों में 90 फी सदी महिला निरक्षर हैं। हर अंक में अगर इस पर कुछ और जानकारी भेजें तो पत्रिका बहुत उपयोगी होगी।

इटिया थोक पंचायत भवन, गोंडा (उ.प्र.) से नवसाक्षर बहन जूली सिंह ने हमें पत्र भेजा है—

मेरा नाम जूली सिंह है। मेरे माता-पिता ने मुझे अभी तक अनपढ़ रखा था। अपने साथ की लड़कियों को देखकर कई बार मुझे भी पढ़ने की इच्छा होती थी। मेरी साध अब जन-शिक्षण निलियम द्वारा पूरी हुई है।

जब मैंने सुना कि यहां पर जन-शिक्षण निलियम केंद्र खुल रहा है तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने फैसला किया कि मैं बिना किसी की बात का ध्यान दिए पढ़ने जाया करूंगी। भगवान भला करे ज.शि.नि. का जिसकी वजह से आज पढ़ना-लिखना जान गई हूं। केंद्र से जो किताबें, पत्रिका मिलती हैं, उनमें छपे लेख, गीत, कविता बहुत पसंद आते हैं।

जयगोपाल गंज, जौनपुर (उ.प्र.): प्रेरक श्री शिवपूजन लिखते हैं—

'सबला' में प्रकाशित लेख 'बांझिन' बहुत अच्छा लगा। उसमें काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। ग्रामीणों और नवसाक्षर महिलाओं को समझाने की विशेष कोशिश की है। ग्रामीण स्तर पर यह सब बातें काफी चर्चित हैं। बच्चा पैदा न होने का कंलक औरत को ही दिया जाता है।

हम यह चाहेंगे कि इस प्रकार की पत्रिकाएं जन-शिक्षण निलियम पर प्रतिमाह आती रहें।

प्रेरकों से हमारा अनुरोध है कि वे 'सबला' में छपा हर लेख, गीत, नाटक, कहानी नवसाक्षरों को समझा कर पढ़ाएं। उनकी प्रतिक्रियाएं हमें लिखें। हम उन्हें छापेंगे। नवसाक्षर बहन/भाई अपनी बात, कोई गीत आदि हमें भेजें। उसे भी हम छापेंगे।

पतों की सूची

स्त्री जीवन से जुड़ी समस्याओं को लेकर वीडियो केसेट, गीतों के केसेट, पोस्टर, पिक्चर पोस्टकार्ड, नाटक, लेख, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें आदि सामग्री कई महिला समूहों और केंद्रों से प्राप्त की जा सकती है।

- **आस्था,** ज़ेवियर इंस्टिट्यूट ऑफ़ कम्यूनिकेशन सेंट ज़ेवियर कालेज, बम्बई-400001, महाराष्ट्र
- **चेतना,** अलोका 1/108, गुज़रात सोसायटी, नेहरू रोड, विले पार्ले रोड (ई), बम्बई-400057
- **आवेही,** पब्लिक चेरिटेबल (शिक्षा संस्था), ऑडियो-विज़ुअल एजूकेशन रिसोर्स सेंटर, रॉडली कैम्प, एस.एम. रोड, सरदार नगर-4 कोली वाडा, बम्बई-400037
- **सेन्डिट,** डी-1 स्वामीनगर, नई दिल्ली-110017
- **जागोरी,** बी-5 हाउसिंग ग्रुप सोसायटी, कोटला रोड, साउथ एक्सटैंशन (1), नई दिल्ली-110049
- **सेंटर फार एजूकेशन और कम्यूनिकेशन** एफ-20, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली
- **आवाग,** 5, प्रोफेसर्स कालोनी, अहमदाबाद-380009, गुजरात
- **चेतना,** ड्राइव-इन सिनेमा बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, थालटेज रोड, अहमदाबाद-380054, गुजरात
- **दिशा,** सामाजिक संस्थान, सुल्तानपुर, चिलकाना, ज़िला-सहारनपुर-247231, उत्तर प्रदेश □

कोर्ट-कचहरी के बाहर

महिला संगठन कानूनी सहायक बने

महिला संगठन अब समझ गए हैं कि यदि महिलाओं की सचमुच मदद करनी है तो उनकी ताकत बढ़ानी होगी। ताकत कैसे बढ़े, इस कोशिश में अलग-अलग समूह अलग-अलग ढंग से लगे हैं। कानूनी जानकारी और कानूनी मदद मुश्किलों को आसान करती है और अपने हकों को जानने और पाने में मदद करती है।

सब जानते हैं कि हमारा कानूनी ढांचा कितना जटिल है। न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। पैसे की बरबादी अलग होती है। कानून को कारगर बनाने में महिला संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और निभा भी रहे हैं।

हमारी अनेक समस्याएं सामाजिक कुरीतियों से जुड़ी हैं। जैसे बाल-विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा, अंध विश्वासों के कारण औरतों को सताया जाना, घर की बहू का दरजा नौकरानी से कुछ ही अधिक होना, पति व ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से सताया जाना, लड़के और लड़की के पालन-पोषण में भेदभाव, पारिवारिक झगड़े, घर की चारदीवारी के भीतर महिलाओं का यौन शोषण आदि।

इन सब मुद्दों को लेकर कानून बने हैं, लेकिन कानून को सार्थक बनाने के लिए कचहरी ही काफी नहीं है। कानूनी जानकारी हर औरत व मर्द को देना, उसका डर पैदा करना, गैर कानूनी कामों को रोकना आदि महिला संगठन या सामाजिक संगठन कर सकते हैं। एक सीमित दायरे में वे कर भी रहे हैं। आइए, आज उस जानकारी को आपस में बांटें।

'सबला' के पिछले अंक में आपने 'छत्तीसगढ़ महिला जागृति संगठन' और 'छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा' द्वारा महिला पंचायत का गठन और उसकी मदद से राजकुमारी मोटवानी को कानूनी मदद दिलवाने के बारे में पढ़ा होगा।

राजस्थान में विमला जैन के निर्देशन में जिला महिला विकास अभिकरण, भीलवाड़ा (राजस्थान) में भी कानूनी मदद देने का काम ज़ोर से चल रहा है। 'सबला' के उसी अंक में आपने 'कानूनी जानकारी

का फायदा' के तहत पंचायत समिति जहाजपुर (राजस्थान) द्वारा पति द्वारा पत्नी को पीटने पर रोक लगाने के बारे में पढ़ा होगा।

धापू की मदद

उदयपुर में 'महिला विकास इकाई' ने बाल विवाह के मामले से पैदा समस्या हल की। 11 साल की धापू गोमती (गांव मुरली) की शादी 15 साल के मांगीलाल से हुई थी। पांच साल तक वह कभी-कभी ससुराल आती जाती रही। स्थाई रूप से वह मायके में रहती थी और मजदूरी करती थी। धापू ससुराल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए गौना नहीं हुआ था। शराब पीकर उसका पति उसे मारता-पीटता था। उसका पति जबर्दस्ती उसे उसके काम की जगह से बुलाकर ले जाया करता था।

एक दिन वह अपने कुछ दोस्तों के साथ जिनमें एक ट्रक ड्राइवर भी था, जबर्दस्ती उसे ट्रक पर बिठाकर अपने घर ले गया। ससुराल पहुंचकर धापू ने खाना बनाया। जब सब खा चुके तब धापू की सास उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई और उसके पति ने गर्म लोहे की छड़ से उसे 19 जगहों पर जलाया। तीन दिन तक वह भूखी-प्यासी, जलन की यातना सहती रही। तीसरे दिन उसके मायके खबर भेजी गई कि वह थोड़ा जल गई है, तब तक उसके जख्म सड़ने लगे थे। धापू का भाई आया, घर में बाहर से सांकल लगी थी। मांगीलाल कहीं भाग गया था।

धापू के भाई ने महिला समूह की मदद ली। धापू के केस को धारा 342 और 324 के तहत दर्ज कराया। सास और ड्राइवर के खिलाफ भी धारा 164 में मामला दर्ज होना था, पर पुलिस ने दर्ज नहीं किया। मांगीलाल को गिरफ्तार किया गया और जमानत पर छोड़ दिया गया।

जब साथिनों ने देखा कि इस तरह कुछ नहीं हो रहा है तब उन्होंने आसपास के गांवों के 150 पंचायती सदस्यों की बैठक बुलाई। पंचायत ने पूरी बात सुनी और कहा कि वह फैसला एक हफ्ते के अंदर देगी। जब डेढ़ महीने तक कुछ न हुआ तो साथिनों ने दूसरी पंचायत बुलाई। इस बार उन्होंने फैसला किया कि धापू अपना घूंघट उठा दे और वह इस शादी से आजाद है। वह जैसे चाहे अपनी जिंदगी जी सकती है। मांगीलाल को सौ जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। उस पर कुछ रुपयों का जुर्माना भी किया गया। उससे लिखा लिया गया कि धापू अब उसकी पत्नी नहीं रही।

धापू का केस दर्ज कराने से यह फायदा हुआ कि उसका अस्पताल में मुफ्त इलाज हो पाया। धापू पहले तो डर से कुछ बोली नहीं, क्योंकि पति ने उसे धमकी दी थी कि वह उसकी नाक काट लेगा अगर उसने उसके खिलाफ कुछ कहा। पंचायत का फैसला कानूनन भी मान्य है, उसे सामाजिक मान्यता तो है ही।

कानूनी सहायता केंद्र

दिल्ली की लाजपतनगर बस्ती में 'महिला कानूनी सहायता केंद्र' सावित्री देवी वर्मा के निर्देशन में 20 वर्षों से काम कर रहा है। इसकी पारिवारिक परिषद् घरेलू झगड़े, पति-पत्नी के बीच, मां-बेटे, भाई-बहन, पड़ोसी आदि के बीच कोर्ट-कचहरी की दौड़ कराए बिना सुलझाती है। लड़कियों से छेड़-छाड़, नौकरियों में उनके साथ अन्याय और अत्याचार के मामलों में भी मदद की जाने लगी है। जो मामले समझौते से नहीं निपटते उन्हें वादी की इच्छा से कोर्ट में दर्ज करा दिया जाता है और वकील की मुफ्त सहायता दी जाती है।

केंद्र कानूनी जानकारी देने के शिविर भी लगाता है। मांग पर दिल्ली के बाहर भी मदद देने को तैयार रहता है। सरल भाषा में लिखी कानून की पुस्तकें भी यहां मिलती हैं। यहां जो समझौते कराए जाते हैं स्टांप पेपर पर दोनों पक्षों के दस्तखत कराकर लिखित रूप से कराए जाते हैं। उनके खिलाफ जाना गैर-कानूनी होता है।

सावित्री जी ने बताया कि इस समय केंद्र के पास 3,000 से अधिक मामले हैं। 40 फीसदी मामलों में समझौता हो जाता है। जब कोई पक्ष मामला लेकर आता है तब दूसरे पक्ष को तीन सम्मन भेजे जाते हैं फिर भी दूसरा पक्ष न आए तो वादी की इच्छा पूछी जाती है। उसकी मर्जी हुई तो मामले की प्रथम सूचना रपट दर्ज करा दी जाती है या उसे कोर्ट में ले जाया जाता है। कुछ मामलों में प्रथम सूचना रपट लिखाना जरूरी है, जैसे बलात्कार, जलाए जाने, और शारीरिक चोट के मामले।

जो केस लेकर आते हैं उनसे लिखित प्रार्थना-पत्र लिया जाता है। समझौता न होने की स्थिति में उन्हें पटियाला हाऊस और तीस हजारी कोर्ट में 'लीगल एड' केंद्रों को भेजा जाता है।

पति, सास या अन्य ससुराल वाला तंग करता है तो उसे बुलाकर उसमें कानूनी डर पैदा किया जाता है। छोटे बच्चे के संरक्षण के मामले में पति या ससुराल वालों से बच्चा मां को दिलवाया जाता है।

यदि पति मर गया है तो सरकारी, गैर-सरकारी दफ्तरों में पत्नी या एक बच्चे को काम देने के लिए संस्था कानूनन बाध्य है। केंद्र ऐसी सूरत में मदद करता है। यदि काम करने के दौरान या दुर्घटना से मृत्यु हुई है तो केंद्र मुआवजा दिलाता है। अगर लड़की के मां-बाप दिल्ली में हैं और ससुराल दिल्ली के बाहर और कोर्ट केस बाहर दायर किया गया है तो केंद्र केस को दिल्ली में स्थानांतरित कराता है।

केंद्र की गतिविधियां दिल्ली तक सीमित नहीं हैं। यह बाहर के केस भी लेता है। इनके फील्ड वर्कर बाहर भी काम करते हैं। कई बार गुजारे-भत्ते का पैसा पार्टी यहीं जमा करा जाती है। फिर दूसरी पार्टी उसे आकर ले जाती है।

औरतों के हक में समझौते

गढ़ी, लाजपतनगर की एक लड़की की शादी दो साल पहले हुई थी। उसका पति बदरपुर एक्सटेंशन में रहता है। दहेज की मांग को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता था। 8-10 महीने से लड़की मायके आकर रहने लगी थी। 5-6 महीने पहले केस रजिस्टर हुआ। लड़के को बुलवाया गया। वह आया, पर काफी समझाने पर भी समझौता नहीं हो सका। लड़के को दहेज वापिस करने को कहा गया। उसने दहेज वापिस किया। लड़की से रसीद ली गई। चूंकि वह खुद कमा-खा रही है इसलिए गुजारे भत्ते की हकदार नहीं है। वह लेना चाहती भी नहीं।

सेक्टर 7 की झुग्गी-झोंपड़ी में एक पति-पत्नी की आपस में नहीं बनती थी। आपसी समझौता हो गया। उनके दो साल की बच्ची है। बच्ची के लिए लड़के ने 150 रु० महीना देने की हामी भरी है। वह रुपया केंद्र में जमा कर जाता है और लड़की यहां से आकर ले जाती है।

कालका जी डिपो के पास एक कैंप है जिसमें अधिकतर बंगला देश से आए शरणार्थी रहते हैं। सुभान नामक व्यक्ति ने बिल्हार बीबी के साथ बलात्कार किया। सुभान पुलिस का मुखबिर था। पुलिस की शह से उसने ऐसा किया। बिल्हार बीबी शादीशुदा औरत है। जिसके दो बच्चे हैं। जब केस केंद्र में आया तब काफी दौड़-भाग की गई। स्थानीय पुलिस केस दर्ज करने और कोई भी कार्यवाही करने से कतरा रही थी। पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई। केस हौजखास थाने में दर्ज कराया गया। सुभान अब जेल में है और उस पर मुकदमा चल रहा है।

अनीता का पति अचानक गुम हो गया। कई दिन तक जब उसका पता नहीं चला तब वह पुलिस चौकी में रपट दर्ज कराने गई। सहायक सब-इंस्पैक्टर ने दिन भर उसे थाने में बिठाया और शाम को वकील से मिलाने के बहाने उसे एक जगह ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। अनीता ने बाहर निकलकर हल्ला मचाया। एक मंदिर में ले जाकर उसके साथ झूठमूठ की शादी की गई। दूसरे दिन

उसे उसके घर छोड़ आया। अनीता के 13-14 साल की लड़की है। अब उसकी नज़र उस पर भी है। अनीता ने उसके खिलाफ रपट लिखाई। केस दर्ज करवाया। वकील किया। वकील और सब-इंस्पैक्टर मिल गए। इंस्पैक्टर ने वकील को पैसा खिला दिया, इसलिए केस आगे नहीं बढ़ा। तब अनीता केंद्र पर आई। इंस्पैक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। अब उसके खिलाफ विजलेंस द्वारा छानबीन चल रही है।

औरतों और बच्चों को जिनका कोई नहीं है शहीद भवन और बाल भवन भेजा जाता है। 'वाई डब्ल्यू सी ए' में भी एक केंद्र है जहां औरतें काम सीखती हैं और उन्हें फिर बसाया जाता है।

महिला केंद्र का पता है—

महिला कानूनी सहायता केंद्र
सी/160 दयानंद कालोनी
लाजपतनगर, नई दिल्ली-110024

कानूनी लड़ाई लंबी होती है पर डर कर हार नहीं माननी चाहिए। अन्याय क्यों सहा जाए ? अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ के साथ अन्य आवाजें भी जुड़ जाती हैं। हर औरत को कानूनी जानकारी होनी चाहिए। अपने हक के बारे में न जानने से काफी परेशानी और अत्याचार झेलने पड़ते हैं। जानकारी होने पर ही औरतें अपने हकों के लिए लड़ सकेंगी।

लोक अदालत के फैसले

बड़ौदा जिले के रंगपुर इलाके में आनंद निकेतन आश्रम की लोक अदालत औरतों की मदद करती है। श्री हरीवल्लभ पारीख के नेतृत्व में यह संस्था 40 साल से काम कर रही है। ग्रामीण विकास के साथ-साथ लोक अदालत का नया सामाजिक अभियान चला रही है। यह तरीका स्थानीय समस्याओं के हल के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है।

एक केंद्रीय लोक अदालत है जिसकी बैठकें आश्रम में होती हैं। हर गांव में ग्राम सभाएं हैं जो लोक अदालत की बैठकें ज़रूरत के हिसाब से करती हैं। लगभग 100 गांवों में इनका काम फैला है। अब तक लगभग 20,000 मामलों का फैसला हो चुका है।

इसे खुली अदालत भी कह सकते हैं। इसके नियम बहुत सरल हैं। कागजी कार्यवाही नामभर है। काफी लोग मौजूद रहते हैं। सबको अपनी राय ज़ाहिर करने का हक है। शारीरिक दंड नहीं दिया जाता। सब फैसले लोगों को मान्य हैं। समस्याओं के समाधान की कुछ मिसालें नीचे दी जा रही हैं—

रतनपुर गांव की लड़की नंदा का पति मंगाभाई तीन साल पहले मर गया। नंदा और उसकी तीन बेटियां रह गयीं। उनके कोई लड़का नहीं है। मंगाभाई की एक एकड़ ज़मीन गुज़ारे के लिए काफ़ी थी। मंगाभाई के कोई भाई नहीं था। एक बहन थी जिसकी काफी पहले शादी हो चुकी थी। इस इलाके में यह रीति है कि विधवा को देवर या जेठ की दूसरी पत्नी के रूप में रहना पड़ता है। इससे जमीन-जायदाद परिवार में ही रहती है।

नंदा के पति की बहन शांति और बहनोई की नज़र नंदा की ज़मीन पर गई। उन्होंने वहां आकर घर में रहना और खेत में काम करना शुरू कर दिया। उसके साथ लड़ाई-झगड़ा कर शांति के पति ने पटवारी से मिलकर ज़मीन अपने नाम करा ली। मामला ग्राम सभा में आया। एक पक्ष नंदा की ओर था। दूसरा मंगाभाई के बहनोई के पक्ष में। मामला केंद्रीय अदालत में आया। गारदीया भाई ने बीच का रास्ता सुझाया। "मरने वाले की पत्नी चाहे तो अपने बच्चों के साथ ज़मीन पर रहे, चाहे किसी से शादी कर ले। शर्त इतनी रहे कि वह नए पति के गांव न जाए।

ज़मीन नंदा के नाम रहे। नया पति पालक ज़रूर रहे मगर मालिक नहीं माना जाएगा।" यह प्रस्ताव सबकी रज़ामंदी से पास हो गया। पटवारी का कच्चा इंदराज जो बहनोई के नाम था रद्द कर दिया गया।

बरसों से चली आ रही एक बुरी सामाजिक प्रथा भी खत्म हो गई और एक नई सामाजिक मान्यता कायम हुई।

अंधविश्वास से मुक्ति

बाटड़ा गांव की रावली बहन के बारे में मुआ (ओझा) ने ऐलान कर दिया था कि वह डायन है। वह गांव के आदमियों और जानवरों को खा रही है। मुआ का कहना भगवान के कहे बराबर था। गांववालों ने उस पर हथियारों से हमला कर दिया। उसके घरवालों के सामने उसकी खूब पिटाई की। वह घायल होकर बेहोश हो गई। मारने वालों ने सोचा वह मर गई।

घरवाले उसे अस्पताल ले गए। उसका इलाज कराया। डाक्टर के बुलाने पर पुलिस आई। पहले तो पुलिस ने हमदर्दी दिखाई। दूसरे दिन गांव के पटेल और कुछ लोग थाने गए तो उसका रवैया बदल गया। रावली के पति का गांव से निकलना मुश्किल हो गया। उसकी खेती-बाड़ी नष्ट हो गई।

इस हालात में मामला लोक अदालत में पेश हुआ। गांववालों को बुलाया गया। पुलिस को भी नोटिस भेजा गया। रावली और उसका पति दिव्या अदालत का नोटिस लेकर नए सिरे से रपट दर्ज कराने थाने गए। पुलिस अधिकारी काफी गुस्सा हुआ और बोला—"सारा गांव तुम्हारे खिलाफ है, तुम लोग गांव छोड़कर भाग जाओ।" वे थाने से बहुत निराश लौटे।

पुलिस को भेजी लोक अदालत की सूचना विस्तार से अखबारों में छपी। इसका असर पुलिस पर भी पड़ा और गांववालों पर भी। लोक अदालत की बैठक में पूरा गांव आया। लोगों को झूठी मान्यताओं के बारे में बताया गया। सदस्यों से पूछा गया—"आप में से कितने लोग अब भी मानते हैं कि डायन बनकर कोई औरत किसी को खा सकती है।" जवाब में एक भी हाथ नहीं उठा। बाटड़ा के लोगों ने कहा—"हमने मुआ के हुक्म को माना है।"

ओझा की पोल खुली

मुआ को बुलाया गया और उससे कहा गया कि हम तुम्हारे सामने पानी का गिलास रख रहे हैं। वह उसे खून में बदल दे। यदि ऐसा न कर सके तो हम एक प्याले में कोई चीज़ भर कर रख देंगे। आप बताना कि इसमें क्या है? अगर आप किसी के शरीर में घुसकर यह बता सकते हैं कि उसने क्या खाया है तो यह आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। गांववालों ने हामी भरी। मुआ बगलें झांकने लगा। लोगों की मौजूदगी में उसके ज्ञान और देवीपन का दिवाला निकल गया।

तब गांववालों ने कहा कि हमने इस मुआ के चक्कर में आकर बड़ा पाप किया है। लोक अदालत जो चाहे हमें सज़ा दे।

लोक अदालत ने दोनों पक्षों से दो-दो जूरी छांटने को कहा। करीब दो घंटे बाद जूरी ने सबकी सम्मति से फैसला सुनाया—"गुनाह बहुत गंभीर है। लोगों ने रावली बहन को मार ही दिया था। संयोग से वह बच गई। लोगों ने अज्ञानतावश ऐसा किया है। जांच से यह भी पता चला है कि लोग अब तक पुलिस को 700 रु० और वकील को 500 रु० दे चुके हैं। रावली बहन की दवा पर जो खर्च हुआ है उसके लिए गांव वालों से 125 रु० दिलाए जाएं।"

सब लोगों ने इस फैसले पर सहमति जताई। रावली बहन ने 25 रु० का गुड़ मंगाकर लोक अदालत में आए लोगों में बांटा। स्नेह और सद्भाव के वातावरण में अदालत उठ गई। अज्ञान का अंधेरा मिट गया था।

इस अदालत में संपत्ति-संबंधी झगड़े, पति-पत्नी के बीच के झगड़े और मार-पीट के झगड़े आदि भी निपटाए जाते हैं। □

बहना के नाम

—वीणा शिवपुरी

तोड़ो दीवारें
खोलो झरोखे
सदियों से घुटता
अंधेरा तो छांटो।

चाहूं कि देखूं
दुनिया की रंगत
आंखें खुली हैं
फिर भी न दीखे
पर्दे हटाओ
कुछ तो दिखाओ।

मन में पली है
उड़ने की चाहत
पंख हैं साबुत
हिम्मत नहीं है
हाथों को थामो
दो डग चलाओ।

जीने की हसरत
हंस भी न पाऊं
होंठ हैं गिरवी

नज़रें उदासी
बहना तुम आओ
गम मेरा बांटो।

तोड़ो दीवारें
खोलो झरोखे
सदियों से घुटता
अंधेरा तो छांटो।

फर्म 4 (नियम 8 देखिए)

1.	प्रकाशन का स्थान :	1, दरियागंज, नई दिल्ली-2
2.	प्रकाशन अवधि :	द्विमासिक
3.	मुद्रक का नाम :	शारदा जैन
	राष्ट्रीयता :	भारतीय
	पता :	सेवाग्राम विकास संस्थान, 1, दरियागंज, नई दिल्ली-2
4.	प्रकाशक का नाम, राष्ट्रीयता पता :	जैसा 3 में दिया है
4.	सम्पादक का नाम, राष्ट्रीयता, पता :	जैसा 3 में दिया है
6.	व्यक्ति विशेष का नाम व पता जो पत्रिका का स्वामी और साझेदार हो और जो पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक का हिस्सेदार हो	सेवाग्राम विकास संस्थान 1, दरिया गंज, नई दिल्ली-2

मैं, शारदा जैन, घोषित करती हूं कि उक्त विवरण मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्णतया सत्य है।

दिनांक 28-2-1991

हस्ताक्षर प्रकाशक
(शारदा जैन)

एक कहानी

वंश बीज

नीर शबनम

'क्या कह रही हो जसु ? आज हमारे इतने लाड़-प्यार से पाले-पोसे इकलौते बेटे का ब्याह तुम उस अनाथ लड़की से करना चाहती हो। आखिर ऐसा क्यों ? सुव्रत तुम्हारा सौतेला बेटा तो नहीं है।'

'इसे तुम मेरी ज़िद मान लो।'

'ज़िद ?'

'हां, बीस साल हमारी शादी को हो गए। तुम मेरी ज़िद तो जानते ही हो।'

'उस अनाथ लड़की में तुमने आखिर ऐसा क्या देख लिया ?'

'बार-बार उसे मेरे सामने अनाथ न कहो जी।'

'अनाथ न कहूं तो और क्या कहूं ? न मां के नाम का पता है, न बाप का ठिकाना .....।'

'ठीक है, तब न मानो। पर सुन लो, यदि सुव्रत का ब्याह सुनयना से इसी फागुन मास में न हुआ तो आज से ही अन्न-जल का त्याग करती हूं। मैं तब तक पानी की एक बूंद भी नहीं लूंगी, जब तक सुनयना इस घर में आकर मुझे अपने हाथों से पानी न पिलाए।'

'ठहरो, ठहरो, यह क्या अंधेर है ? जसुमति, मुझे सोचने का ज़रा समय दो।'

'तीर धनुष से छूट चुका है, अब बाकी आप जानें' कहकर जसुमति पूजा के आसन पर जा बैठी।

जदुलाल कमरे में चहल कदमी करने लगे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। कितना समय बीता, उन्हें कुछ पता नहीं चला। अचानक वे लपके हुए पूजागृह में आए और बोले, 'आखिर मुझे इसका कुछ कारण तो बताओ जसुमती। तुम्हें उस अनाथ लड़की का ही क्यों ख्याल आया ?'

जसुमती हंस पड़ी, 'इसलिए कि उस अनाथ को हम सनाथ बना सकें। उसे मां-बाप का सच्चा प्यार दे सकें।'

'ऐसे तो लाखों अनाथ पड़े हैं जसुमती ! किस किस को हम सनाथ बना सकते हैं ? भला यह तो कोई कारण नहीं हुआ। सच-सच बताओ, बात क्या है ?'

'सच सुन पाओगे ?'

'क्या ?' जदुलाल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। डर से उनका गला सूख गया।

'सुन पाओगे, तो क्या बर्दाश्त कर पाओगे ?'

'क्या ? जल्दी बताओ, मेरी तो नाड़ी सुन्न हुई जा रही है।'

'सच तो यह है—दुलाघाट के जमींदार माणिक

घोषाल के पोते, जिस अपने वंश का तुम्हें इतना बड़ा नाज़ है यह इकलौता वारिस सुव्रत एक भिखारी का बेटा है।'

'जसुमती, यह झू ऽऽऽऽ ठ है!' कहते-कहते जदुलाल कटे पेड़ की तरह गिर पड़े। वह चीखे, 'इतना क्रूर मजाक न करो जसु! तुमसे ब्याह करने के बाद मैंने किसी और स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा है। यह तुम मुझ से कैसा बदला लेना चाहती हो? नहीं, नहीं, यह सच नहीं है .....।'

ऐसा धमाका उस हवेली में पांच पीढ़ियों के बाद पहली बार हुआ था। नौकर-चाकर, दास-दासियां सब हैरान थे कि पति-पत्नी दोनों एक साथ कैसे बीमार पड़ गए। बीमार हुए तो बिना बोले-चाले अलग-अलग कमरे में क्यों पड़े रहना चाहते हैं? न किसी वैद्य-हकीम की दवा खाना चाहते हैं।

० ० ० ०

दुलाघाट के प्रतिष्ठित जमींदार माणिक घोषाल की पांच पीढ़ियों में पुत्र का जन्म बराबर से होता आया था। हां, कम से कम यही बात सब कोई जानते थे। दुलाघाट का बच्चा-बच्चा जानता था। लेकिन जैसे ही छठी पीढ़ी की शुरुआत हुई जमींदारी की बागडोर ढीली पड़ने लगी। जदुलाल के पैदा होते ही उनके पिता नवेंदु घोषाल की सांप काटने से मृत्यु हो गई। बड़ा अशुभ माना गया। जदुलाल की मां को पुत्र जन्म के साथ ही मानो जेल में डाल दिया गया। उनके मरने तक परिवार में किसी ने उनका मुंह तक नहीं देखा। यहां तक कि आंगन के पेड़-पौधों ने भी नहीं।

लेकिन जदुलाल का भाग्य अच्छा था। चौदह साल की उम्र तक परिवार के ज्यादातर पुरुष सदस्यों की मृत्यु हो चुकी थी। उनको एकछत्र शासक बनने में देर नहीं लगी। कर्ज का खान-पान शुरू हो गया। हवेली में हर दिन जशन होता, हर रात दिवाली मनाई जाती। फिर जदुलाल का ब्याह हुआ। इसके बाद दूसरा और फिर तीसरा ब्याह हुआ। जदुलाल का तीसरा ब्याह क्या हुआ उनकी दुनिया ही बदल गई। जदुलाल को अब बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहा। जिधर देखो जसुमती ही दिखाई देती।

जसुमती हवेली और खानदान की सर्वेसर्वा हो गई। दहेज में वह इतना कुछ लाई थी कि जदुलाल का सारा कर्ज अदा हो सके और जिंदगी भर सुख-चैन की बंसी बजाई जा सके। लेकिन जदुलाल ने उस धन से कर्ज नहीं अदा किया। उस धन को अपने ही सुख-चैन के लिए खर्च करना मुनासिब समझा।

जसुमती ने आते ही पति को अपने बस में कर लिया था। उसका जी रह-रह कर एक ही बात को सोचकर कांप जाया करता था। उसे जिंदगी भर की खुशी पाने के लिए माणिक घोषाल के वंश को कुलदीपक भी देना था। यही तो उस घराने में स्त्री को आजन्म सुख पाने की शर्त थी, वरना वही, कैद या देश निकाला। उसने सुन रखा था पुत्र को जन्म न दे सकने पर घोषाल वंश की स्त्रियों को चुपके से हीरे की कनी पीसकर दूध में पीने के लिए जबर्दस्ती की जाती थी। जिससे उसकी मृत्यु हो जाए और वंशजों पर हत्या का आरोप भी न लगे।

अगर जीवन का अंत इस तरह नहीं हो पाता तो वंश के मुखिया उसका गला घोंटकर उसके जीवन का अंत कर देते। कुएं में मुंह अंधेरे उसकी लाश को लुढ़का दिया जाता। उस दिन सुबह से रात तक पंडित जी को बुलाकर हवन कराया जाता और उसके धुएं में उस घटना और उस स्त्री को सदा के लिए भुला दिया जाता।

० ० ० ०

जसुमती को जब पहली बार अपने शरीर में बदलाव महसूस हुआ तो डर के कारण उसका मुंह सफेद पड़ गया। वह सोचने लगी, अब नौ महीने तक

दिन का चैन, और रातों की नींद उसे नसीब न होगी। उसने सुन रखा था कि जदुलाल की पहली पत्नी ने जैसे ही कन्या को जन्म दिया, उसी क्षण उस कन्या का गला घोंट कर मार दिया गया और हवेली के पीछे कुएं में फिकवा दिया गया। पहले प्रसव में ही पुत्र न दे सकने के कारण बहू को रातों-रात बैलगाड़ी में बिठाकर उसके मायके भेज दिया गया था। घर की पालकी में भिजवाने की उदारता भी ज़मींदार घराना नहीं दिखा सका था।

ठीक ही सुना था जसुमती ने। जब जदुलाल की दूसरी पत्नी कुमुदनी ने ब्याह कर हवेली में पांव रखा, फूलों के पायदान बिछाकर उसको प्रवेश कराया गया। जब उसने मां बनने के लक्षण दिखाए तो जदुलाल दिन रात उसके पास ही बने रहते थे। अपना पूरा कारोबार मुंशी और गुमाश्तों के हाथों सौंप दिया। उस साल आम के बागों से बहुत आमदनी हुई। सब लक्षण बड़े शुभ थे। लेकिन कुमुदनी ने कन्या को जन्म दिया। रात दिन चकोर की तरह कुमुदनी को निहारने वाले जदुलाल ने एक गर्जना के साथ नौकर को आज्ञा दी कि किराए की बैलगाड़ी ले आए। सब की बोलती बंद हो गई थी। कुमुदनी की रोते-रोते घिग्घी बंध गई थी। उसने कोचवान से मिन्नतें कीं कि जदुलाल को एक बार बुला दे ताकि अंतिम बार वह उनके चरण छू सके, पर जदुलाल ने कुमुदनी का मुंह नहीं देखा।

सौरगृह में वह सिर पटक-पटक कर रो रही थी कि उसकी मासूम बच्ची को गला घोंटकर न मारा जाए, वह बच्ची खुद पाल लेगी। उसी के सहारे जी लेगी। अपने देश निकाले को भी उसने स्वीकार कर लिया था। लेकिन यह कैसे हो सकता था? क्या ज़मींदार माणिक घोषाल के वंश की कन्या कल को ग़लत हाथों में पड़कर कोठे की शोभा बनने के लिए जीवित छोड़ दी जाए? कन्या का तो जन्म ही अभिशाप है। दहेज के दानव ने बंगाल में न जाने कितनी कन्याओं को निगल लिया है।

इसीलिए जसुमती ने प्रसव के समय अपनी छोटी बहन हेमवती को अपने पास ही बिठा रखा था। जैसे ही नवजात बच्चे का रुदन शिशुगृह में गूंजा जसुमती ने हिम्मत बटोरते हुए उससे फुसफुसाकर पूछा। हेमवती ने भी उसके कान के पास फुसफुसाकर जवाब दिया।

'तो ले यह' कहकर जसुमती ने तुरंत सिरहाने रखी एक थैली उठाई और हेमवती को कुछ जरूरी बातें समझाईं। 'इसमें सोने की मुहरें हैं। तुरंत जा, किसी को कानोंकान खबर न हो।'

रात के घनघोर अंधेरे में हेमवती कुछ दूर पैदल बढ़ती चली गई। फिर आम के पेड़ से बंधे घोड़े को लेकर सरपट भाग चली।

थोड़ी देर बाद जब हेमवती लौटी तो हवेली में फिर से बच्चे के रोने की आवाज़ उभरी। इस बार रोने की आवाज़ तेज़ और साफ़ थी। तुरंत ही हवेली में बात फैल गई। जसुमती ने एक पुत्र को जन्म दिया है। चारों ओर उत्सव की तैयारियां होने लगीं। वंश का कुलदीपक दिया था हवेली की बहू ने। बस, फिर क्या था, बहू की आरती उतारी गई, मंगल गान गाए गए, शंख-ढोल बजने लगे। बहू और बच्चे की नज़र उतारकर चांदी के रुपयों को गरीबों में बांटा गया।

फिर पुत्र के नामकरण के दिन जसुमती की इच्छा के हिसाब से ग़रीबों को महाभोज दिया गया। अचानक हेमवती दौड़ती हुई आई—'दीदी, दीदी! वह भी आई है' उसने फुसफुसाकर कहा।

'हाय!' जैसे छाती में कोई कील धंस गई हो, जसुमती चीख सी पड़ी। 'कहां है? हेमवती मुझे दिखा, मुझे उसके पास ले चल बहना।'

'नहीं दीदी, कहीं बात इधर से उधर न हो जाए?'

'जो होगा, सो होगा। मुझे न रोक।' जसुमती खुद साड़ियां बांटने लगी। हेमवती का इशारा पाते ही जसुमती ने उस स्त्री से कहा, 'हड़बड़ी में तुम्हें दो साड़ियां आ गई हैं। दूसरी साड़ी अपनी बाजू वाली को दे दो,' हेमवती ने उसकी बात दोहराई। जसुमती ने फौरन टोकते हुए साड़ी वापस उसको रखने

दी और फिर वह ऐसे झुक गई जैसे उसे चक्कर आ गया हो। उसने झुककर अपनी जाई कन्या के गाल आखिर हौले से चूम ही लिए।

दो-दो साड़ियां पाकर भिखारिन खुश हो गई थी। आशीर्वाद देती हुई चली गई।

० ० ० ०

झगड़े के नौवें दिन जदुलाल से न रहा गया क्योंकि वैद्य-हकीमों ने बताया कि लगातार उपवास से जसुमती के प्राणों को खतरा है। हवेली सूनी पड़ गई थी। 'जसुमती, आखिर तुम चाहती क्या हो ?
यह कैसी बिजली गिराई है तुमने मुझ पर ?
किस बात का बदला ले रही हो तुम ?'

'भूल गए। तुमने अपनी पहली और
दूसरी पत्नी को इसलिए घर से निकाल दिया था
क्योंकि उन्होंने कन्याओं को जन्म दिया था।'

"हां, यह सही है।"

'और तुमने उन दोनों बच्चियों को कुएं में फिकवा दिया था।'

'.....' जदुलाल खामोश रहे।

"पर तुमने अपनी पत्नियों को इतना भी मौका नहीं दिया कि शायद कुछ इंतजार के बाद पुत्र-रत्न को जन्म देतीं। पर तुम किसी स्त्री को तो कोई महत्व देना ही नहीं चाहते। तुम्हारा अपना अहम् सबसे पहले है। पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था में स्त्री की क्या इतनी भी जगह नहीं कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सके ? मैंने यही किया है।"

'तुमने कहा था कि सुव्रत हमारा बेटा नहीं, क्या यह सच है ?

'हां, यह सच है और यह भी सच है कि वह एक भिखारिन का बेटा है।'

'जसु !' जदुलाल छाती पर हाथ रखकर चीख पड़े। 'नहीं, नहीं, यह सच नहीं है.....।'

'तो आप ही बताइए ! क्या आज आप लोगों के सामने इस बात से इंकार कर सकते हैं कि सुव्रत आपका बेटा नहीं है ?'

मानो सैकड़ों सांपों ने जदुलाल को डस लिया हो। उनका चेहरा पीला पड़ने लगा। उनकी तो जैसे सोचने की ताकत ही खत्म हो गई।

'अभी बात तीसरे के कानों तक नहीं पहुंची है कि सुव्रत एक भिखारिन का बेटा है। इसलिए सुनयना को आप अपनी बहू बना लें।'

'तो तुमने मुझे अभी तक धोखे में रखा था ?'

'हां, स्त्री को उसका स्थान देना ही होगा। उस पर मनमाना अत्याचार करके, उस पर वार पर वार, आघात पर आघात करके पुरुष जीत नहीं पाएगा। आखिर वह जीवन की गाड़ी स्वयं अकेला तो ढोता नहीं है।'

'तो तुमने बदला लिया है मुझसे ?'

'नहीं, इसे बदला नहीं कहा जा सकता।
मैंने तो प्रतिघात किया है, इसलिए कि मेरी बच्ची को भी उसके अधिकारों से वंचित न होना पड़े।'

'तुम्हारी बच्ची ?'

'हां, सुनयना हमारी बेटी है।'

'मेरा तो सर चकरा रहा है। तुम कहती हो सुनयना तुम्हारी बेटी है और तुम उसे इस घर की बहू बनाकर लाना चाहती हो ?' लड़खड़ाती जुबान से जदुलाल ने पूछा।

'हां, सुव्रत हमारा बेटा नहीं है, पर सुनयना हमारा 'वंशबीज' है। उसे इस घर में जब तक नहीं लाऊंगी तब तक आपके कुल का दीपक कैसे जलता रहेगा। यह ब्याह तो होना ही है।'

कुछ ठहरकर जसुमती ने व्यंग से कहा, 'अब तो आप लोगों से यह कह नहीं सकते कि सुव्रत एक भिखारिन का बेटा है।'

'पर.....' जदुलाल पर-कटे पंछी की तरह फड़फड़ा उठे।

'पर क्या ? अब तो जान गए हो कि सुनयना हमारी बेटी है। दहेज न जुटा पाने की स्थिति में उसका गला घोंटकर मार दो। शायद निराधार छोड़ने पर कल को वह वेश्या के कोठे पर बैठ जाए।'

'जसु.....'

'अरे हां, इन सब बातों के पहले मुझे हीरे की कनी पीसकर दूध में देना न भूलना।'

साभार—'कहानियां' पत्रिका

बहू, क्यों न तुम और मैं इस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में शामिल हो कर शिक्षित हो जाएं ?

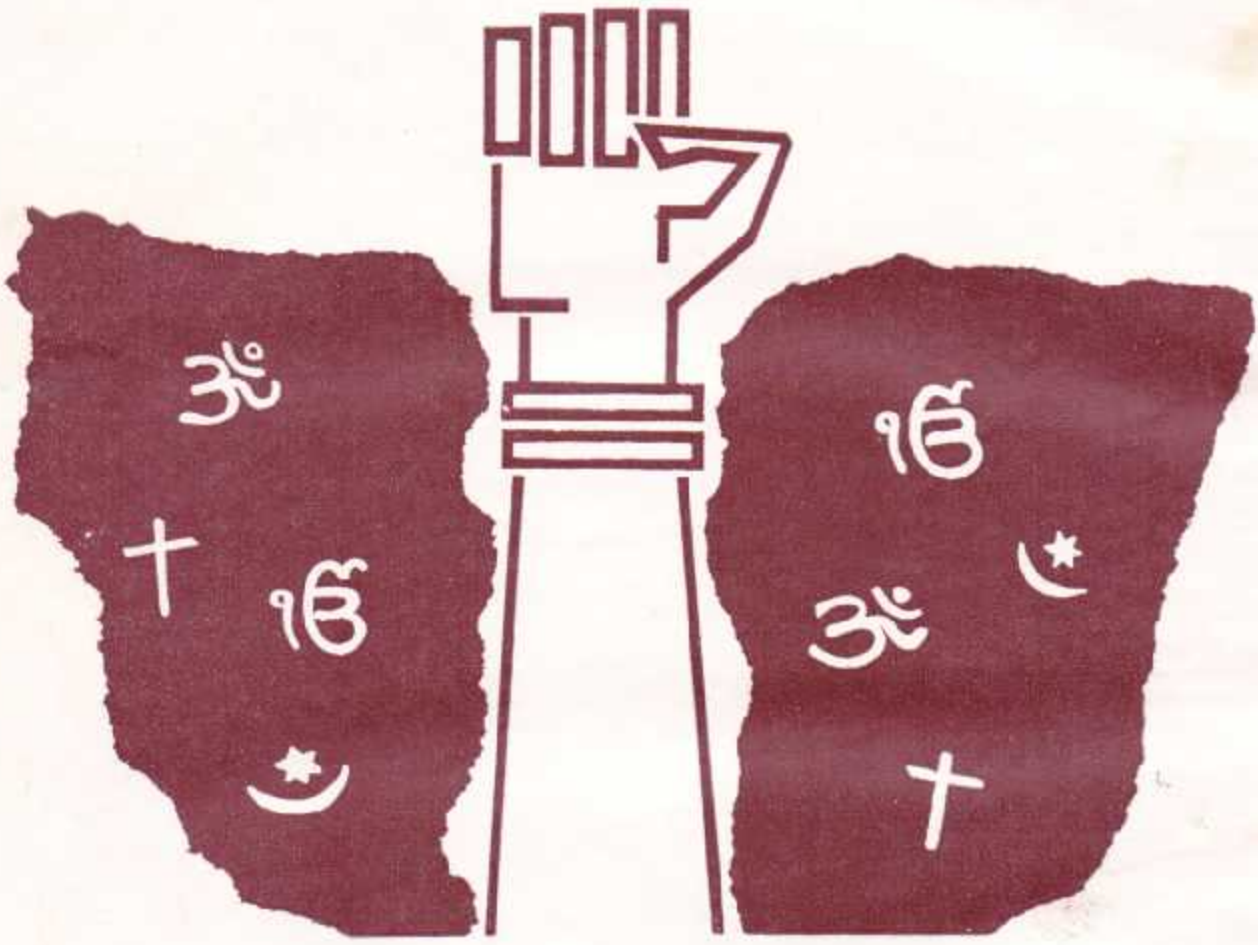

हो कोई जाति हो कोई धर्म
मिलकर मनाएं अपना पर्व

(महिला दिवस, मार्च 8)